

N.D.H.:27.05.2025

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
EXECUTION APPLICATION NO.11 OF 2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 1075 OF 2024  
IN THE MATTER OF:**

NARENDRA KUSHWAHA ..... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & OTHERS & OTHERS ..... RESPONDENTS

INDEX

<b>S.NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	Joint Committee Report on behalf of Respondent Jhansi Nagar Nigam	<b>1 -6</b>
2.	<b><u>ANNEXURE R-1</u></b> A true copy of order passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 21.08.2024	<b>7 – 9</b>
3.	<b><u>ANNEXURE R-2</u></b> A copy of letter issued by member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board dated 25.09.2024	<b>10</b>
4.	<b><u>ANNEXURE R-3</u></b> A true copy of minutes of meeting dated 10.10.2024	<b>11</b>
5.	<b><u>ANNEXURE R-4</u></b> A true copy of letter of VC Jhansi Development Authority alongwith photographs dated 28.11.2024	<b>12 – 29</b>
6.	<b><u>ANNEXURE R-5</u></b> A true copy of letter to Municipal Commissioner Nagar Nigam Jhansi dated 15.05.2025	<b>30 – 73</b>
7.	<b><u>ANNEXURE R-6</u></b> A true copy of compliance report to DM Jhansi by Municipal Commissioner Nagar Nigam Jhansi dated 20.05.2025	<b>74 – 246</b>
8.	<b><u>ANNEXURE R-7</u></b> A true copy of order of Municipal Commissioner Nagar Nigam Jhansi dated 16.10.2024	<b>247 – 249</b>

9.	<b><u>ANNEXURE R-8</u></b> A true copy of form for collecting information	<b>250</b>
10.	<b><u>ANNEXURE R-9</u></b> A true copy of form for collecting information	<b>251</b>
11.	<b><u>ANNEXURE R-10</u></b> A true copy of survey report to DM Jhansi by Municipal Commissioner Nagar Nigam Jhansi dated 18.11.2024	<b>252</b>
12.	<b><u>ANNEXURE R-11</u></b> A true copy of tender notice	<b>253 – 256</b>
13.	<b><u>ANNEXURE R-12</u></b> A true copy of information of trees falled	<b>257</b>
14.	<b><u>ANNEXURE R-13</u></b> A true copy of joint inspection report of DFO Jhansi and Additional Municipal Commissioner Jhansi dated 28.11.2024	<b>258</b>
15.	<b><u>ANNEXURE R-14</u></b> A true copy First Information Report No. 416 of 2024 dated 16.12.2024	<b>259 – 266</b>
16.	Vakalatnama	<b>267</b>

**Place:** New Delhi

**Date:** 26.05.2025

Filed on behalf of:-  
**Municipal Commissioner,  
Nagar Nigam Jhansi**

  
**(GAURAV AGARWAL)**

Advocate

GRV LEGAL

Advocates and Legal Consultants

O-703, Aditya Mega City,

VaibhavKhand, Indirapuram,

Ghaziabad, U.P. NCR- 201014

Mob.:8802911392

Email. : [gaurav@grvlegal.in](mailto:gaurav@grvlegal.in)

मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में दायर O.A. संख्या-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में E.A. संख्या-11/2025 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के अन्तर्गत गठित संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित वाद OA संख्या-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा EA संख्या-11/2025 दालिख किया गया है। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 24.02.2025 को आदेश पारित किया गया है।

उक्त वाद में दिनांक 21.08.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है :-

"4. Hence, we form a joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, UPPCB, Divisional Forest Officer Jhansi, Vice Chairman Jhansi Development Authority, Commissioner, Municipal Corporation Jhansi District Magistrate Jhansi. The District Magistrate, Jhansi will act as the coordinating agency in the joint Committee. The joint Committee will get the inspection done and identify the trees, the base of which have been concretized or covered in the city of Jhansi and will take action to de-concretize these trees so that their growth and survival is not adversely affected. The joint Committee will also identify, if any, illegal felling of tree has taken place and the persons responsible for the same and take remedial/punitive action. The Joint Committee will submit the report before the Registrar General of the Tribunal within three month by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration. (...)"

उक्त आदेश के अनुपालन में संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है जो निम्नवत् है :-

1. समिति के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन दिनांक 10.10.2024 को किया गया जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिये गये आदेश के पालन हेतु गहन विचार विमर्श करते हुए कार्ययोजना बनायी गयी।
2. अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झाँसी को झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा पत्रांक 2510/जे0डी0ए0/मा0रा0ह0अ0 (2024-25) दिनांक 28.11.2024, वन विभाग द्वारा पत्रांक 4230/10-1 दिनांक 08.05.2025, तथा नगर निगम द्वारा पत्रांक-55/1-पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2025-26 दिनांक 20.05.2025 को अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त अनुपालन आख्या में अवगत कराया गया कि अवैध पेड़ों के कटान एवं पेड़ों के इर्द गिर्द पक्का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
3. (क) कार्य योजना के अनुरूप नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा नगर निगम, झाँसी के प्रत्येक वार्ड के सर्वेक्षण हेतु नगर निगम, झाँसी, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी एवं वन विभाग, झाँसी के संयुक्त सदस्यों की टीम बनायी गयी। टीम को प्रत्येक वार्ड में जाकर प्रारूप - 01 एवं प्रारूप - 02 पर आंकड़े एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया।






- (ख) नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा पत्रांक 346/1 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा जिलाधिकारी, महोदय को प्रेषित आख्या में अवगत कराया है कि सर्वेक्षण में प्रारूप-01 के अनुसार झाँसी नगर निगम के समस्त 60 वार्डों में कुल 971 स्थलों पर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य पाये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।
- (ग) कुल 971 स्थलों पर पक्के कार्य को हटाये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.11.2024 को अनुमानित लागत रू0 8,45,076/- निकाली गई।
- (घ) वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साक्ष्य स्वरूप समस्त 971 स्थलों के कार्य के पूर्व एवं कार्य के पश्चात् के फोटोग्राफ संलग्न है।
- (ङ) प्रारूप - 02 के अनुसार कुल 01 स्थलों पर 01 वृक्षों के काटे जाने की सूचना प्राप्त हुयी है। सम्बन्धित स्थल का अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी द्वारा अवैध रूप से काटे गये वृक्ष का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तदोपरांत नगर निगम, झाँसी के द्वारा उक्त अवैध कटान के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु सीपरी बाजार थाना, झाँसी में दिनांक 28.11.2024 को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में सीपरी बाजार थाना, झाँसी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 303(2), उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
- (च) नगर आयुक्त की आख्या दिनांक 20.05.2025 में यह भी उल्लेखित है कि निर्माण विभाग नगर निगम, झाँसी को भविष्य में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार वृक्षों के इर्द-गिर्द 6'X6' का स्थल छोड़कर ही कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
4. प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी प्रभाग की आख्या दिनांक 08.05.2025 के अनुसार राजकीय महिला पॉलीटेक्निक ने नियमानुसार 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर निस्तारण किया गया तथा सामग्री आपूर्ति के दौरान क्षतिग्रस्त 18 सूबबूल के वृक्षों का वन अपराध संख्या 15/2024-25, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर प्रतिकर E-3 NO. 4403/49 दिनांक 09.07.2024 से रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) प्राप्त किया। यद्यपि 18 वृक्ष सूबबूल के छूट प्रजाति के हैं परन्तु वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गयी।
- नारायण बाग में विकास कार्यों के दौरान ठेकेदार की लापरवाही के कारण 15 वृक्षों का पातन अवैध रूप से किया गया था जिसके सम्बन्ध में वन अपराध संख्या 34/2024-25 दिनांक 18.12.2025, वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत दर्ज करते हुए इजरा किया गया तथा वृक्षों का प्रतिकर E-3 NO. 4403/66 दिनांक 24.12.2024 से रू0 70,000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र) जमा कराया गया।
- मेडिकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष अवैध रूप से काटा पाया गया। जिसका वन अपराध संख्या 24/2024-25 में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर रू0 10000/- (रू0 दस हजार मात्र), E-3 रशीद संख्या 4403/73 दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया।

5. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20.05.2025 में अवगत कराया है कि नगर निगम, झाँसी द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के परिसर के निकट मियावाकी पद्धति से 31600 (इक्कतीस हजार छः सौ) पौधों का रोपण वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है। नारायण बाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2500 (दो हजार पांच सौ मात्र) पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 70000 (सत्तर हजार) पौधारोपण किया गया है।
6. झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी की आख्या दिनांक 28.11.2024 के अनुसार 63 कालोनी में वृक्षों के इर्द-गिर्द जगह छोड़ी गयी है एवं एक कालोनी में 05 वृक्षों में पक्का कार्य पाया गया था जिसका सुधार कर दिया गया है तथा सुधार के छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20.05.2025 में अवगत कराया है कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या (05) में वर्णित 971 वृक्षों के अतिरिक्त भी यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर वृक्ष के इर्द-गिर्द पक्का कार्य भविष्य में पाया जायेगा तो उसे भी हटा दिया जायेगा।

उक्त अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न है।

अतः संयुक्त समिति की अनुपालन आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि EA संख्या-11/2025 को निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

  
(इमरान अली)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड, झाँसी।

  
(शोभो शण्डे)  
प्रभारी वनाधिकारी  
झाँसी।

  
(सत्य प्रकाश)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, झाँसी।

  
(आलोक यादव)  
उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण,  
झाँसी।

  
(मृदुल चौधरी)  
जिलाधिकारी  
झाँसी।

अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित वाद O.A. संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में आवेदक द्वारा E.A. संख्या- 11/2025 दाखिल किया गया है। इस E.A. संख्या- 11/2025 के माध्यम से आवेदक द्वारा O.A. संख्या-1075/2024 में पारित आदेश के अनुपालन की प्रार्थना की है। प्रकरण की अनुपालन आख्या निम्नवत् है :-

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित वाद O.A. संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 21.08.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया है :-

*"4. Hence, we form a joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, UPPCB, Divisional Forest Officer Jhansi, Vice Chairman Jhansi Development Authority, Commissioner, Municipal Corporation Jhansi District Magistrate Jhansi. The District Magistrate, Jhansi will act as the coordinating agency in the joint Committee. The joint Committee will get the inspection done and identify the trees, the base of which have been concretized or covered in the city of Jhansi and will take action to de-concretize these trees so that their growth and survival is not adversely affected. The joint Committee will also identify, if any, illegal felling of tree has taken place and the persons responsible for the same and take remedial/punitive action. The Joint Committee will submit the report before the Registrar General of the Tribunal within three month by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.(...)"*

(संलग्नक - 01)

2. उक्त आदेश के अनुपालन में सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी को पत्रांक 17734/सी-2/एन0जी0 टी0-07/24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा नामित किया गया।

(संलग्नक - 02)

3. समिति के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन दिनांक 10.10.2024 को किया गया जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिये गये आदेश के पालन हेतु महन विचार विमर्श करते हुए कार्ययोजना बनायी गयी। बैठक के कार्यवृत्त की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है।

(संलग्नक - 03)

4. अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झाँसी को झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा पत्रांक 2510/जे0डी0ए0/मा0रा0ह0अ0 (2024-25) दिनांक 28.11.2024 (संलग्नक 04), वन विभाग द्वारा पत्रांक 4230/10-1 दिनांक 08.05.2025 (संलग्नक 05), तथा नगर निगम द्वारा पत्रांक-55/1-पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2025-26 दिनांक 20.05.2025 (संलग्नक 06) को अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त अनुपालन आख्या में अवगत कराया गया कि अवैध पेड़ों के कटान एवं पेड़ों के इर्द गिर्द पक्का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

5. (क) कार्य योजना के अनुरूप नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा नगर निगम, झाँसी के प्रत्येक वार्ड के सर्वेक्षण हेतु नगर निगम, झाँसी, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी एवं वन विभाग, झाँसी के संयुक्त सदस्यों की टीम बनायी गयी (संलग्नक - 07)। टीम को प्रत्येक वार्ड में जाकर प्रारूप - 01 (संलग्नक - 08) एवं प्रारूप - 02 (संलग्नक - 09) पर आंकड़े एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया।

(ख) नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा पत्रांक 346/1 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा जिलाधिकारी, महोदय को प्रेषित आख्या में अवगत कराया है कि सर्वेक्षण में प्रारूप-01 के अनुसार झाँसी नगर निगम के समस्त 60 वार्डों में कुल 971 स्थलो पर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य पाये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।

(संलग्नक - 10)

(ग) कुल 971 स्थलो पर पक्के कार्य को हटाये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.11.2024 को अनुमानित लागत रू0 8,45,076/- निकाली गई। (संलग्नक - 11)

(घ) वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साक्ष्य स्वरूप समस्त 971 स्थलो के कार्य के पूर्व एवं कार्य के पश्चात् के फोटोग्राफ संलग्न है। (संलग्नक - 08(D))

(ङ) प्रारूप - 02 के अनुसार कुल 01 स्थलो पर 01 वृक्षों के काटे जाने की सूचना प्राप्त हुयी है। (संलग्नक - 12) सम्बन्धित स्थल का अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी द्वारा अवैध रूप से काटे गये वृक्ष का स्थलीय निरीक्षण किया गया। (संलग्नक - 13) तदोपरान्त नगर निगम, झाँसी के द्वारा उक्त अवैध कटान के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु सीपरी बाजार थाना, झाँसी में दिनांक 28.11.2024 को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में सीपरी बाजार थाना, झाँसी द्वारा दिनांक 16.12.2024 को भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 303(2), उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षा अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

(संलग्नक - (14))

(च) नगर आयुक्त की आख्या दिनांक 20.05.2025 में यह भी उल्लेखित है कि निर्माण विभाग नगर निगम, झाँसी को भविष्य में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार वृक्षों के इर्द-गिर्द 6'X6' का स्थल छोड़कर ही कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(संलग्नक - 06(B))

6. प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी प्रभाग की आख्या दिनांक 08.05.2025 के अनुसार राजकीय महिला पॉलीटेक्निक ने नियमानुसार 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर निस्तारण किया गया तथा सामग्री आपूर्ति के दौरान क्षतिग्रस्त 18 सूबबूल के वृक्षों का वन अपराध संख्या 15/2024-25, वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर प्रतिकर E-3 NO. 4403/49 दिनांक 09.07.2024 से रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) प्राप्त किया। यद्यपि 18 वृक्ष सूबबूल के छूट प्रजाति के है परन्तु वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गयी।

नारायण बाग में विकास कार्यों के दौरान ठेकेदार की लापरवाही के कारण 15 वृक्षों का पातन अवैध रूप से किया गया था जिसके सम्बन्ध में वन अपराध संख्या 34/2024-25 दिनांक 18.12.2025, वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत दर्ज करते हुए इजरा किया



गया तथा वृक्षों का प्रतिकर E-3 NO. 4403/68 दिनांक 24.12.2024 से ₹0 70,000/- (₹0 सत्तर हजार मात्र) जमा कराया गया।

मेडिकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवा जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष अवैध रूप से काटा पाया गया। जिसका वन अपराध संख्या 24/2024-25 में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर ₹0 10000/- (₹0 दस हजार मात्र), E-3 रशीद संख्या 4403/73 दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया। उपर्युक्त प्रकरणों में वन विभाग, प्रभाग झाँसी की विस्तृत आख्या दिनांक 08.05.2025 संलग्न है।


(संलग्नक - (05))


7. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20.05.2025 में अवगत कराया है कि नगर निगम, झाँसी द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के परिसर के निकट मियावाकी पद्धति से 31600 (इक्कतीस हजार छः सौ) पौधों का रोपण वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है। नारायण बाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2500 (दो हजार पांच सौ मात्र) पौधों का रोपण किया गया है। संलग्नक - 6 (C) साथ ही नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 70000 (सत्तर हजार) पौधारोपण किया गया है। वृक्षारोपण के फोटो संलग्न हैं। (संलग्नक - 06(A))
8. झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी की आख्या दिनांक 28.11.2024 के अनुसार 63 कालोनी में वृक्षों के इर्द-गिर्द जगह छोड़ी गयी है एवं एक कालोनी में 05 वृक्षों में पक्का कार्य पाया गया था जिसका सुधार कर दिया गया है तथा सुधार के छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।


(संलग्नक - 04))


9. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 20.05.2025 में अवगत कराया है कि उपर्युक्त दिन्दु संख्या (07) में वर्णित 971 वृक्षों के अतिरिक्त भी यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर वृक्ष के इर्द-गिर्द पक्का कार्य भविष्य में पाया जायेगा तो उसे भी हटा दिया जायेगा।

(संलग्नक - (06))

  
(इमरान अली)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड, झाँसी।

  
(जे०बी० शेण्डे)  
प्रभारी वनाधिकारी  
झाँसी।

  
(सत्य प्रकाश)  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, झाँसी।

  
(आलोक यादव)  
उपाध्यक्ष  
झाँसी विकास प्राधिकरण,  
झाँसी।

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1075/2024

Narendra Kushwaha

Applicant

Versus

Union of India &amp; Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 21.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Narendra Kushwaha, Applicant in Person (Through VC)

**ORDER**

1. In this original application, Applicant has raised the grievance that in the garb of beautification and development, the trees in entire Jhansi city in different colonies, Government Departments and by the side of road have been concretized. The allegation is that the green fully grownup trees of peepal, neem, bargad, etc. have been concretized and their roots have been covered by using tar, cement, apex, tiles, etc. and even the garbage is collected covering their base as a result of which survival of these trees has become difficult. In support of the plea, Applicant has enclosed photographs from page 20 onwards which clearly support the plea of concretization of base of the trees.

2. The Tribunal by order dated 17.07.2023 in the matter of *Vijay Kishore Goswami vs. State of Uttar Pradesh & Ors.* in OA No. 175/2022 after taking note of the order of Delhi High Court (*Kalpavnksh v. Union of India*, Writ Petition (Civil) No. 1772/2007 and *S.C. Jain vs. Union of*

India, Writ Petition (Civil) No. 11162/2009) has already issued direction for other areas for de-concretizing such trees by observing as under:

*"16. The reply submitted by the respondents and the report of the Committee reveals that after issue of Notification by the State of Uttar Pradesh in 2018, no construction has been taken to concretize the area and G.O. is regularly being complied. Non-compliance has not been reported after 2018. However, we direct that the G.O. issued by the State of Uttar Pradesh with regard to concretization and Guidelines issued for Greening of Urban Areas and Landscaping must be complied in letter and spirit."*

3. The record further reflects that the similar grievance was raised in OA No. 742/2023 which was registered on the basis of the letter petition and the said OA was disposed of by order dated 22.12.2023 directing the Forest Office, Jhansi to duly consider the grievance and take appropriate remedial action. It appears that in pursuance to the said direction, remedial action has not been taken.

4. Hence, we form a joint Committee comprising of (i) the representative of Member Secretary, UPFCB; (ii) Divisional Forest Officer, Jhansi; (iii) Vice Chairman, Jhansi Development Authority; (iv) Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi and (v) District Magistrate, Jhansi. The District Magistrate, Jhansi will act as the coordinating agency in the joint Committee. The joint Committee will get the inspection done and identify the trees, the base of which have been concretized or covered in the city of Jhansi and will take action to de-concretize these trees so that their growth and survival is not adversely affected. The joint Committee will also identify, if any, illegal felling of tree has taken place and the persons responsible for the same and take remedial/punitive action. The joint Committee will submit the report before the Registrar General of the Tribunal within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF

and not in the form of Image PDF. If it is found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

5. The OA is accordingly disposed of.

6. Let a copy of this order be forwarded to Member Secretary, UPPCB, Divisional Forest Officer, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi and District Magistrate, Jhansi by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 21, 2024  
Original Application No. 1075/2024  
dv





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E  
for  
sentसंदर्भ सं०  
Ref. No.

H.17734 / सी-2 / N.G.T.-07/24

दिनांक  
Date 25/9/24

मा० एनजीटी प्रकरण

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
झोंसी ।

विषय—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निस्तारित ओ०ए० संख्या-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-239/पी०ए०/अ०न०आ०/न०नि०/2024-25 दिनांक 17.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निस्तारित ओ०ए० संख्या-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में राज्य बोर्ड से प्रतिनिधि नामित किये जाने की अपेक्षा की गई। मा० एनजीटी द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं :-

"...4. 4. Hence, we form a joint Committee comprising of (i) the representative of Member Secretary, UPPCB; (ii) Divisional Forest Officer, Jhansi; (iii) Vice Chairman, Jhansi Development Authority; (iv) Commissioner, Municipal Corporation, Jhansi and (v) District Magistrate, Jhansi. The District Magistrate, Jhansi will act as the coordinating agency in the joint Committee....."

तत्काल में अवगत कराना है कि राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 05.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में राज्य बोर्ड से श्रीमती दीपा अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी (मोबाइल-7839391747) को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त समिति के नामित सदस्यों से तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण करते हुए मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

sk  
सदस्य सचिव

टीसी - 12 वी, विभूति खण्ड, गंगी नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
ई-मेल : info@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
झोंसी ।

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Ganga Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
E-mail : info@uppcb.in

## कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

दिनांक:- 10/10/24.

पत्रांक :- 233/1

आज दिनांक 10.10.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित AG NO.1075/2024 श्री नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किया गया जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नामित निम्नलिखित जांच समिति सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहें :-

1. श्री आलोक यादव, उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
2. श्री सत्यप्रकाश, नगर आयुक्त नगर निगम झाँसी।
3. श्री जे० बी० रोषडे, डी०एफ०ओ० झाँसी।
4. श्रीमती दीपा अरोरा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी, उ०प्र० प्र०पि०बो०।
5. श्री मो० कमर, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी।
6. श्रीमती उपमा पाण्डेय, सचिव, झाँसी विकास प्राधिकरण।
7. श्री राजवीर सिंह, मुख्य अभियन्ता नगर निगम झाँसी।

बैठक में सर्वप्रथम मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश "The joint Committee will get the inspection done and identify the trees, the base of which have been concretized or covered in the city of Jhansi and will take action to de-concretize these trees so that their growth and survival is not adversely affected. The joint Committee will also identify, if any, illegal felling of tree has taken place and the persons responsible for the same and take remedial/punitive action. The joint Committee will submit the report before the Registrar General of the Tribunal within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु निम्नवत् बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु साझा सहमति बनी :-

1. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन लिए यह आवश्यक है कि झाँसी नगर के प्रत्येक वार्ड का सर्वेक्षण करा लिया जाये। झाँसी नगर के समस्त वार्डों का संलग्न प्रारूप के अनुसार सर्वेक्षण कराया जाये। सर्वेक्षण टीम में नगर निगम झाँसी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सदस्य संयुक्त रूप से रखे जाये। संयुक्त सर्वेक्षण टीम वार्डवार बनाई जाये। संयुक्त सर्वेक्षण टीम पूरे वार्ड का सर्वेक्षण कर निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 22.10.2024 तक अनिवार्य रूप से सर्वेक्षण सूचना उपलब्ध करायेगी। यह सर्वेक्षण टीम समस्त रोड, पार्क इत्यादि सार्वजनिक जगहों का सर्वेक्षण करेगी।
2. अनुपालन हेतु पत्रावली बनाते हुए तीन दिवस के भीतर वार्डवार संयुक्त टीम का गठन करते हुए नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया जाये।
3. जिन जगहों पर अवैध रूप से पेड़ों के काटे जाने की आख्या प्राप्त होगी उसका स्थलीय निरीक्षण अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी द्वारा किया जाये तथा उस पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर दिनांक 30.10.2024 तक अवगत कराया जायेगा।
4. झाँसी विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित पार्कों, अनुमोदित कॉलोनी निर्मित फुटपाथ, रोड़ तथा अन्य परिसरों का झाँसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा सर्वेक्षण कराकर तथा उसमें आवश्यक सुधारकर दिनांक 30.10.2024 तक समिति को अवगत कराया जाये।
5. वन विभाग द्वारा वृक्षों के ईद-गिर्द मानक के विपरीत पक्का चबूतरा निर्माण तथा अवैध कटान के सम्बन्ध में अभी तक जो भी कार्यवाही की गयी है अथवा की जानी है उससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति को दिनांक 30.10.2024 तक अवगत कराया जायेगा।

अंत में समस्त को गंभीरतापूर्वक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुपालन हेतु समयबद्ध ढंग से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर बैठक समाप्त की गयी।

(अविनाश कुमार)  
जिला मजिस्ट्रेट  
झाँसी।

जिला मजिस्ट्रेट  
झाँसी।

प्रतिलिपि :- समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।



# झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक 2510 / जे0डी0ए0 / मा.रा.ह.अ.(2024-25)

दिनांक 28 नवम्बर 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी  
झाँसी।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित AO No. 1075/2024 श्री नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 80 कॉलोनियां स्वीकृत/अनुमोदित की गयी हैं।

प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित कॉलोनियों में निर्मित पार्को, निर्मित फुटपाथ रोड तथा अन्य परिसरों का सर्वेक्षण नगर नियोजक, झां.वि.प्रा. एवं क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, झां.वि.प्रा. द्वारा किया गया, जिसमें 63 कॉलोनियों में वृक्ष के तने को अपेक्स/सीमेण्ट आदि से नहीं ढका गया है। निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली 11 कॉलोनियां निर्माणाधीन है। बेतवा विहार आवासीय योजना की सड़क के किनारे 05 वृक्ष के तने अपेक्स/सीमेण्ट आदि से ढके पाये गये, जिन्हें मौके पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में सही कराया जा चुका है, अन्य कोई वृक्ष अपेक्स/सीमेण्ट आदि से ढके नहीं है। फोटोग्राफ संलग्न है।

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित पार्क (अटल एकता पार्क एवं पंचतंत्र पार्क) अनुमोदित कॉलोनियों, निर्मित फुटपाथ, रोड तथा अन्य परिसरों का सर्वे किया गया, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

(आलोक यादव)

उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, झां.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. नगर नियोजक, झां.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, झां.वि.प्रा. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

(जितेन्द्र सिंह सहरवार)  
नगर नियोजक

4/11/2024 2:28 PM झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

उपाध्यक्ष

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

## प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों के फोटोग्राफ



पूर्व के फोटोग्राफ

वर्तमान के फोटोग्राफ

बेतवा विहार आवासीय योजना

49410304\_215

(जितेन्द्र सिंह सहरवार),  
 नगर नियोजक  
 हाँसी विकास प्राधिकरण, हाँसी

(जितेन्द्र सिंह सहरवार),  
 नगर नियोजक  
 हाँसी विकास प्राधिकरण, हाँसी




(जितेन्द्र सिंह सहारवा,)  
 नगर नियोजक  
 शहरी विकास प्राधिकरण, झांसी

(जितेन्द्र सिंह सहारवा,  
 नगर नियोजक  
 शहरी विकास प्राधिकरण, झांसी



(जितेन्द्र सिंह सहस्वार)  
 नगर नियोजक  
 झोंसी विकास प्राधिकरण, झोंसी

(जितेन्द्र सिंह सहस्वार)  
 नगर नियोजक  
 झोंसी विकास प्राधिकरण, झोंसी



(जितेन्द्र सिंह सरकार)  
 नगर नियोजक  
 शोरी विकास प्राधिकरण, शोरी

(जितेन्द्र सिंह सरकार)  
 नगर नियोजक  
 शोरी विकास प्राधिकरण, शोरी



(जितेन्द्र सिंह सहस्रपास),  
 नगर नियोजक  
 शोरी विकास प्राधिकरण, झांसी

(जितेन्द्र सिंह सहस्रपास),  
 नगर नियोजक  
 शोरी विकास प्राधिकरण, झांसी



(जितेन्द्र सिंह सहरवार)  
 नगर नियोजक  
 झौंसी विकास प्राधिकरण, झौंसी

(जितेन्द्र सिंह सहरवार)  
 नगर नियोजक  
 झौंसी विकास प्राधिकरण, झौंसी



(जितेन्द्र सिंह सहैरवा),  
 नगर नियोजक  
 शौचो विकास प्राधिकरण, झांसी

(जितेन्द्र सिंह सहैरवा),  
 नगर नियोजक  
 शौचो विकास प्राधिकरण, झांसी



GPS Map Camera  
 Jhansi, Uttar Pradesh, India  
 Fh3m+hq4, 06, Near Sullani Masjid, Bada Bazar,  
 Purana Sahar, Jhansi, Uttar Pradesh 284002, India  
 Lat 25.454228° Long 79.584346°  
 25/11/24 04:24 PM GMT +05:30



GPS Map Camera  
 Jhansi, Uttar Pradesh, India  
 103, Nasta Chopra, Jhansi, Uttar Pradesh  
 284001, India  
 Lat 25.450628° Long 79.587741°  
 26/11/24 04:20 PM GMT +05:30

*JS*  
 (जितेन्द्र सिंह सहस्वार)  
 नगर नियोजक  
 झंसी विकास प्राधिकरण, झंसी

*JS*  
 (जितेन्द्र सिंह सहस्वार)  
 नगर नियोजक  
 झंसी विकास प्राधिकरण, झंसी




(जितेन्द्र सिंह सहस्वा),  
नगर नियोजक  
श्रीती विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(जितेन्द्र सिंह सहस्वा),  
नगर नियोजक  
श्रीती विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद



  
 (जितेन्द्र सिंह सहरवा),  
 नगर नियोजक  
 झंसी विकास प्राधिकरण, झंसी

  
 (जितेन्द्र सिंह सहरवा),  
 नगर नियोजक  
 झंसी विकास प्राधिकरण, झंसी



(जितेन्द्र सिंह सहस्रपा,)  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

(जितेन्द्र सिंह सहस्रपा,)  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी



(जितेन्द्र सिंह) *[Signature]*  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

*[Signature]*  
 (मन्मथ सिंह) *[Signature]*  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी



(जितेन्द्र सिंह सेहरवा,  
 नगर नियोजक,  
 झोंसी विकास प्राधिकरण, झोंसी)

(जितेन्द्र सिंह सेहरवा,  
 नगर नियोजक,  
 झोंसी विकास प्राधिकरण, झोंसी)



*JL*  
(जितेन्द्र सिंह सहरवा)  
नगर नियोजक  
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

*JL*  
(जितेन्द्र सिंह सहरवा)  
नगर नियोजक  
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी



*JL*  
 (जितेन्द्र सिंह सहरवार),  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

*JL*  
 (जितेन्द्र सिंह सहरवार),  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी



*(Signature)*  
 (जितेन्द्र सिंह सहस्वार),  
 नगर नियोजक  
 शहरी विकास प्राधिकरण, झांसी

*(Signature)*  
 (जितेन्द्र सिंह सहस्वार),  
 नगर नियोजक  
 शहरी विकास प्राधिकरण, झांसी



(मिनेन्द्र सिंह सहस्त्रवार),  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

(अतन्द्र सिंह सहस्त्रवार),  
 नगर नियोजक  
 झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

कार्यालय जिलाधिकारी, झोंसी

संख्या: 45 / एसटी-एनजीटी / 2024-25  
विषय: ओ०ए० सं० 1075 / 2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन विषयक।

दिनांक 15 मई, 2025

AMC(K)

✶

M-C

✓ नगर आयुक्त,  
नगर निगम झोंसी।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या पत्र संख्या 01/एसटी-एनजीटी/2024-25 दिनांक 18.09.2024, अनुस्मारक पत्र संख्या 14/एसटी-एनजीटी दिनांक 04.01.2025 से नगर निगम, झोंसी, पत्र संख्या 17/एसटी-एनजीटी दिनांक 20.01.2025, पत्र संख्या 32/एसटी-एनजीटी दिनांक 04.03.2025, 34/एसटी-एनजीटी दिनांक 21.03.2025 एवं 40/एसटी-एनजीटी दिनांक 24.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायकित प्रकरण में पारित मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में गठित समिति की आख्या उपलब्ध कराकर अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, किन्तु समिति के स्तर से आख्या मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सम्मक्ष समयान्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप याधिकाकर्ता के निस्पादन प्रार्थना पत्र पर मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक 24.02.2025 को आदेश पारित करते हुये सुनवाई हेतु आगामी तिथि 27.05.2025 के पूर्व संयुक्त समिति की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में पुनः नोटिस व आदेश की प्रति प्राप्त हुयी है। चूंकि उक्त प्रकरण में आगामी तिथि 27.05.2025 नियत है। प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी झोंसी द्वारा विभागीय जांच आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से प्रेषित विभागीय आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त आख्या को संयुक्त जांच में सम्मिलित कराते हुये संयुक्त आख्या मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को समय से उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।  
संलग्न- मूल रूप में।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)  
झोंसी।

संख्या व दिनांक तद

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)  
झोंसी।प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक

/10-1,

दिनांक, झांसी,

8/5/

2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
झांसी।

विषय:-

ओ०ए० संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन में आख्या।

संदर्भ:-

जिलाधिकारी, झांसी का पत्रांक-34/एसटी-एनजीटी/2024-25, दिनांक 21.03.2025।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के कार्यालय पत्रांक-517/26-16,

दिनांक 09.04.2025 एवं पत्रांक-557/26-1, दिनांक 28.04.2025 द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी झांसी के पत्रांक-905/10-1 दिनांक 02.05.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है-

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 के अनुसार संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन कराया गया था व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरुआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु० दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई०जी०आर०एस० शिकायत संख्या-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी, जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-प्रति संलग्न है।

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई (मी० में)	व्यास श्रेणी
1	कैसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6
7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

8	गोल्ड मोहर	1.20	3-4
9	चिरील	0.95	3-4
10	चिरील	1.20	3-4
11	चिरील	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/26-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की जांच आख्या व उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 4-230 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी।
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक /10-1, दिनांक, झांसी, 8/5/ 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
झांसी।

विषय:- ओ०ए० संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन में आख्या।

संदर्भ:- जिलाधिकारी, झांसी का पत्रांक-34/एसटी-एनजीटी/2024-25, दिनांक 21.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के कार्यालय पत्रांक-517/26-16, दिनांक 09.04.2025 एवं पत्रांक-557/26-1, दिनांक 28.04.2025 द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी झांसी के पत्रांक 905/10-1 दिनांक 02.05.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है-

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 के अनुसार संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन कराया गया था व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरूआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु० दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई०जी०आर०एस० शिकायत संख्या-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी, जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-प्रति संलग्न है।

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई (मी० में)	व्यास-श्रेणी
1	केसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6
7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक

8	गोल्ड मोहर	1.20	3-4
9	चिरौल	0.95	3-4
10	चिरौल	1.20	3-4
11	चिरौल	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/26-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

मेडीकल कॉलेज के सामने कैनासन पहाड़िया से करगुवा जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की जांच आख्या व उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांक संख्या 4-230 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी।
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी।

द्वारा— उपप्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी।

विषय:— जन सुनवाई सं० 60000240102550 के सम्बन्ध में पुनः जांच आख्या।

सन्दर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक 95/26-16 दिनांक 12.08.2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी झांसी का पत्रांक 602/26-16 दिनांक 14.08.2024।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त आई०जी०आर०एस० शिकायत सं०— 60000240102550 जो राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के अवैध रूप से कटान करने बावत् की थी जिसकी रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 95/26-16 दिनांक 12.08.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय की सेवा में प्रेषित की गयी, पत्र की छायाप्रति संलग्न है। तत्पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा उक्त जांच आख्या पत्रांक 602/26-16 दिनांक 14.08.2024 से जिलाधिकारी, झांसी की सेवा में प्रेषित की गयी। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) उक्त शिकायत की पुनः जांच हेतु आपके आदेशानुसार विस्तृत जांच आख्या प्रेषित है।

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा से करायी गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 को अपनी अवगत कराया कि संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के जिनका मूल्यांकन किया गया व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध सं० 15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी, H2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक व्यानों में अवगत कराया कि यह वृक्ष समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाली दी गयी

जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये, इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई थाना बरुआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित ब्यानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर E3 रसीद सं0 4403/49 दिनांक 03.07.2024 से 10000 (दस हजार मात्र) जमा किया। तत्पश्चात् वन अपराध सं0- 16/2024-25 में जांच अधिकारी, द्वारा केस में अन्तिम जांच रिपोर्ट लगाकर कार्यालय प्रेषित की केस को इस कार्यालय के पत्रांक 269/10-1 दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उपप्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के कार्यालय में प्रेषित किया गया, उपप्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा केस के प्रशमन हेतु अपनी संस्तुति सहित अपने पत्रांक 423/10-1 दिनांक 30.09.2024 को प्रभागीय कार्यालय प्रेषित किया गया। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई0जी0आर0एस0 शिकायत सं0-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया जिसका वन अपराध सं0-34/2024-25 दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया। जिसका विवरण निम्न है।

क्र0 सं0	प्रजाति	गोलाई (मी0 में)	व्यास श्रेणी
1	कैसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6
7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक
8	गोल्डमोहर	1.20	3-4
9	चिरौल	.95	3-4
10	चिरौल	1.20	3-4
11	चिरौल	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक


एच2 केस की छायाप्रति साथ में संलग्न है। केस इजरा उपरान्त जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा को दी गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा द्वारा केस की जांच की, नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ

के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये। जिसकी रिपोर्ट वनदरोगा द्वारा प्रेषित की। वनदरोगा की रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक-596/26-1 दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। छायाप्रति संलग्न है। जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये वृक्षों का प्रतिकर E3 सं0-4403/66 दिनांक 24.12.2024 से 70000 (सत्तर हजार रुपये) जमा किया तत्पश्चात् श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा द्वारा केस में अंतिम जांच रिपोर्ट लगाकर प्रेषित की जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उपप्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित किया था। एच2 केस में लगायी गयी अंतिम जांच रिपोर्ट की छायाप्रति साथ में संलग्न है।


महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज, झांसी के सामने कैमासन की पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क में खुदाई करते समय वृक्षों को क्षति पहुँचाने के दावत जांच मौके पर की गयी। जिसमें कच्ची सड़क निर्माण में एक वृक्ष रेंवजा का जिसकी गोलाई 0.58 मीटर क्षतिग्रस्त पाया गया जिसका वन अपराध सं0-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच2 केस की छायाप्रति साथ में संलग्न है। इस अवैध कटे वृक्ष की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा को दी गयी जिसकी जांच अभी जारी है। उक्त रेंवजा के अवैध कटान के अभियुक्त का पता लगाया जा रहा है। अभियुक्त का पता चलते ही अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः उक्त शिकायत के सम्बन्ध में पूर्ण जांच आख्या इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायत के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झांसी रेंज

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की सेवा में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि उक्त शिकायत के निस्तारण हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झांसी रेंज

## कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी

पत्रांक 95 / 26-16 दिनांक अगस्त 12, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी।

विषय:- I.G.R.S शिकायत सं०-60000240141479 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 436/26-16 दिनांक 01.08.2024।  
महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त I.G.R.S शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा से कराई। वनदरोगा की जांच रिपोर्ट अनुसार राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में भवन निर्माण में बाधक वृक्षों वावत् कॉलेज प्रशासन द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के जो बाधक थे, इनका मूल्यांकन वन विभाग से कराकर निस्तारण किया गया। भवन निर्माण में निर्माण सामग्री आदि की आपूर्ति में 18 वृक्ष सूबबूल के क्षतिग्रस्त हो गये, जांच के दौरान क्षतिग्रस्त वृक्षों का वन अपराध सं० 15/2024-25 इजरा किया गया, तत्पश्चात् अवैध रूप से क्षतिग्रस्त वृक्षों का प्रतिकर E3 NO. 4403/49 दिनांक 09.07.2024 से 10,000/- प्राप्त किया यद्यपि 18 वृक्ष सूबबूल के छूट प्रजाति के हैं परन्तु वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गयी।

महिला पॉलीटेक्निक प्रशासन द्वारा नियमानुसार 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर निस्तारण किया गया, व सामग्री आपूर्ति में क्षतिग्रस्त 18 सूबबूल के वृक्षों का वन अपराध दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है। शिकायतकर्ता को उक्तानुसार अवगत कराया गया है। अतः शिकायत को उक्तानुसार/प्रसमित करने की संस्तुति सहित जांच आख्या प्रेषित है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महोदय - सहायक वनाधिकारी  
झांसी

भदौरिया  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झांसी।

में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी,  
झांसी।

विषय:- I.G.R.S शिकायत सं०-60000240141479 के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक 436/26-16 दिनांक 01.08.2024।  
महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त I.G.R.S शिकायत जो श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक में वृक्षों के अवैध कटान बावत् की है की मौके पर जाकर जांच की। महिला पॉलीटेक्निक में भवन निर्माण में बाधक वृक्षों बावत् कॉलेज प्रशासन द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के जो बाधक थे, इनका मूल्यांकन वन विभाग से कराकर निस्तारण किया गया। भवन निर्माण में निर्माण सामग्री आदि की आपूर्ति में 18 वृक्ष सूबबूल के क्षतिग्रस्त हो गये, जांच के दौरान क्षतिग्रस्त वृक्षों का वन अपराध सं० 15/2024-25 इजरा किया गया, तत्पश्चात् अवैध रूप से क्षतिग्रस्त वृक्षों का प्रतिकर E3 NO. 4403/49 दिनांक 09.07.2024 से 10,000/- प्राप्त किया यद्यपि 18 वृक्ष सूबबूल के छूट प्रजाति के है परन्तु वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही की गयी।

महिला पॉलीटेक्निक प्रशासन द्वारा नियमानुसार 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर निस्तारण किया गया, व सामग्री आपूर्ति में क्षतिग्रस्त 18 सूबबूल के वृक्षों का वन अपराध दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है। शिकायतकर्ता को उपरानुसार अवगत कराया गया है। अतः शिकायत को उक्तानुसार/प्रसमित करने की संस्तुति सहित जांच आख्या प्रेषित है। अतः शिकायत का निस्तारण करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
प्रद्युम्न सिंह भदौरिया  
व०द०, झांसी रेंज।  
11-8-24

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक- 602/26-16,

दिनांक, झांसी, अगस्त, 14 - 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
झांसी।

विषय:- जन सुनवाई (आई0जी0आर0एस0) शिकायत सं0-80000240141479, दिनांक 28.07.2024 की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,



विषयांकित प्रकरण जिसके तहत शिकायतकर्ता-श्री नरेन्द्र कुशवाहा, पता-पिछोर, नारायण वाग के पास झांसी द्वारा महिला पॉलिटेक्निक परिसर में हरे-भरे पेड़ों के कटान के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गयी है।

उक्त प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी द्वारा कराई गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी ने अपने कार्यालय पत्रांक-95/26-16, दिनांक 12.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण में बाधक वृक्षों बावत् कॉलेज प्रशासन द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के जो बाधक थे, इनका मूल्यांकन वन विभाग से कराकर निस्तारण किया गया। भवन निर्माण में निर्माण सामग्री आदि की आपूर्ति में 18 वृक्ष सूबबूल के क्षतिग्रस्त हो गये, जांच के दौरान क्षतिग्रस्त वृक्षों का वन अपराध संख्या-15/2024-25 इजरा किया गया, तत्पश्चात अवैध रूप से क्षतिग्रस्त वृक्षों का प्रतिकर ई-3 नं0-4403/49, दिनांक 09.07.2024 से 10000/- प्राप्त किया। महिला पॉलिटेक्निक प्रशासन द्वारा नियमानुसार 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर निस्तारण किया गया व सामग्री आपूर्ति में क्षतिग्रस्त 18 सूबबूल के वृक्षों का वन अपराध दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है। शिकायतकर्ता को उक्तानुसार अवगत करा दिया गया है।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की उपरोक्तानुसार रिपोर्ट के आधार पर आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी  


  
जिला वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

# वन विभाग, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ० प्र०

उप प्रशासक प्रशासकरी  
कानपुर

श्री... वन प्रभाग

4403

पृष्ठ सं० 43

दिनांक 9-7-24

श्री... श्री... श्री...

या (शब्दों में) 44 हजार 2 मात्र

नसीब बाबत P.C.N. 15/2024-25 श्री... श्री...

ए. प्र. शास्त्री एम. ए. एस. प्राप्त हुई 1

10000/-

(संनिकषित्त आदेशिका)  
श्री... नन्द

E-1000000

प्रभारणीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी





## वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

( शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002 )

( अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित ) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 4558453 संख्या दिनांक 16/05/2024

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी प्रणव त्रिपाठी व्याख्याता पत्नी/पुत्र/पुत्री जिला: झांसी  
: कम्प्यूटर साहस संस्थागत श्री:  
तहसील: झांसी वार्ड संख्या: प्लॉट संख्या:  
पता: वीरगंगा झलकारी बाई, क्षेत्र: शहरी  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक,  
झांसी।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 16/05/2024 और जॉच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	पत्राति का नाम	132 स.मी. की उचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-रोग द्वारा दिनांक 132 से.मी. की उचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-रोग द्वारा दिनांक गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	छेवला	50	अन्य कारण	50	विकास कार्य में बाधक
2	छेवला	50	अन्य कारण	50	विकास कार्य में बाधक
3	छेवला	60	अन्य कारण	60	विकास कार्य में बाधक
4	छेवला	65	अन्य कारण	65	विकास कार्य में बाधक
5	छेवला	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
6	छेवला	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
7	छेवला	75	अन्य कारण	75	विकास कार्य में बाधक
8	छेवला	75	अन्य कारण	75	विकास कार्य में बाधक
9	छेवला	85	अन्य कारण	85	विकास कार्य में बाधक
10	छेवला	90	अन्य कारण	90	विकास कार्य में बाधक
11	छेवला	90	अन्य कारण	90	विकास कार्य में बाधक
12	छेवला	120	अन्य कारण	120	विकास कार्य में बाधक
13	छेवला	140	अन्य कारण	140	विकास कार्य में बाधक
14	नीम	55	विकास कार्य में बाधक	55	विकास कार्य में बाधक

प्रकाश

प्रकाश  
वनकारी बाई,  
राज्य महिला पौलिटैकनिक  
संस्थान।

सेवा में

वनधिकारी,  
झोंसी।

विषय- एआईसीटीई मानक के अनुरूप बिल्डिंग निर्माण कार्य हेतु निर्मित स्थल पर स्थित वृक्षों के मूल्यांकन  
उपरांत कटवाने के संबंध में।

पत्रांक - 1244 / सम्पा-विदिप/2024  
महोदय,

दिनांक 23 मार्च 2024

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि इस संख्या में एआईसीटीई डिफिसियेंसी के अन्तर्गत कार्यवाही संख्या द्वारा इस वर्ष बिल्डिंग का निर्माण कार्य सम्पन्न होना है।

अतः आपको अनुरोध है कि निर्मित स्थल से वृक्षों का निरीक्षण कराते हुये अधिनियम उक्त कार्यवाही कराने का कष्ट करें, जिससे कि नव-निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जा सके।

भवदीय,

( एल0एस0यादव )  
प्रधानाचार्य

साक्षर

*[Handwritten signature]*

23-3-24

राज्य प्रभागीय वनाधिकारी, झोंसी  
पत्रांक 2281/37-1 दिनांक 20-4-24  
प्रतिनिधि क्षेत्रीय वन अधिकारी, झोंसी  
भौके की जांच कर रिपोर्ट सीधे प्रेषित करें।

*[Handwritten signature]*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी

0/0

श्री विजयमोक्षिणी  
वनाध्यक्ष

कृपया अवकाश करें।

*[Handwritten signature]*  
23/3/24

प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी

दिनांक 27.13/2024  
पत्रीकरण सं. 1209  
पत्र सं. 37-1

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, झाँसी  
पत्रांक 563/37-1 दिनांक 06/04/24

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झाँसी।

द्वारा- उचित माध्यम।

विषय- वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झाँसी के परिसर में बिल्डिंग निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 3281/37-1, दिनांक 01.04.2024।

महोदय,


आपके आदेशानुसार मौके की जांच की, जांच में वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झाँसी के परिसर में एआईसीटीई डिफिसियेन्सी के अर्न्तगत कार्यदायी संस्था द्वारा बिल्डिंग निर्माण कार्य कराया जाना है। नव निर्माण स्थल पर बाधक वृक्षों का मूल्यांकन श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा द्वारा कराया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट साथ में संलग्न है।  
अतः श्रीमान् जी की सेवा में मूल्यांकन रिपोर्ट संस्तुति सहित उचित हेतु प्रेषित है।

भवदीय।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी  
पत्रांक 563 / 37-1 / दिनांक 06/04/24

(क्षेत्रीय वनाधिकारी)  
झाँसी रेंज

महोदय- R.F.O. झाँसी को आरक्ष्य स्थल में संस्तुति सहित उपरोक्त।

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

कार्यालय  
06/04/24  
DO (S)

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक,  
झॉंसी।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झॉंसी।

विषय- एआईसीटीई मानक के अनुरूप भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन के संबंध में।

पत्रांक -139-40 / रामपा0-विविध/2024

दिनांक 30 अप्रैल, 2024

महोदय,

कृपया इस संस्था के पत्रसं0-1244 / रामपा0-विविध/2024 दिनांक 23 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो एआईसीटीई मानक के अनुरूप भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में है।

उपरोक्त संदर्भ में आपके कार्यालय के द्वारा नव-निर्माण स्थल पर बाधक वृक्षों का मूल्यांकन श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वन दरोगा के माध्यम से कराया गया, परन्तु अभी तक मूल्यांकन रिपोर्ट की हार्डकॉपी मूलरूप में संस्था को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे बिल्डिंग निर्माण में बाधक वृक्षों की नीलामी प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन रिपोर्ट की मूलप्रति इस संस्था को अविलम्ब प्रेषित कराने की कृपा करें, जिससे कि निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही कराई जा सके।

भवदीय,

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

वीरांगना झलकारी बाई  
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक

दिनांक 30 अप्रैल, 2024

पत्रसं0-139-40 / रामपा0-विविध/2024

प्रतिलिपि-अधिशासी अनियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन) लोक निर्माण विभाग, झॉंसी को सूचनाई प्रेषित।

01/5/24

2/5/24

2/5/24

2-01/05/24

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झॉंसी वन प्रभाग, झॉंसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक- 3662/37-1, दिनांक, झांसी, मई, 01-2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी।

विषय:- वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी के परिसर में बिल्डिंग निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-139-40/रामपा0-विविध/2024, दिनांक 30.04.2024।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक-1244/रामपा0-विविध/2024, दिनांक 23.03.2024 के क्रम में ए0आई0सी0टी0ई0 मानक के अनुरूप बिल्डिंग निर्माण में बाधक वृक्षों का मूल्यांकन इस कार्यालय के पत्रांक-3398/37-1, दिनांक 09.04.2024 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Received  
01/05/24

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक- 3398 /37-1. दिनांक, झांसी, अप्रैल, 09, 2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक,  
झांसी।


विषय:- ए0आई0सी0टी0ई0 मानक के अनुरूप बिल्डिंग निर्माण में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक-1244 /समपा0-विविध/2024, दिनांक 23.03.2024।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मौका स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी से कराई गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी ने अपने कार्यालय पत्रांक-441/37-1, दिनांक 06.04.2024 वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेकनिक, झांसी परिसर में बिल्डिंग निर्माण में बाधक 44 वृक्षों का मूल्यांकन कर सूची इस कार्यालय को प्रेषित की है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी स्तर से प्राप्त मूल्यांकन सूची संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

नीलामी प्रक्रिया के पश्चात सम्बन्धित को इस कार्यालय से नियमानुसार वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र एवं प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु अगिवहन पास प्राप्त करना आवश्यक होगा।


संलग्नक-मूल्यांकन सूची

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पुष्ठांकन संख्या 3398 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

OIC

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक,  
झोंसी।

जिलाधिकारी  
झोंसी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी।

विषय— एआईसीटीई मानक के अनुरूप भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में।

पत्रांक -180-84/रामपा0-भवन/2024

दिनांक 08मई,2024

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रसं0-3398/37-1दिनांक 09अप्रैल, 2024 के द्वारा वीरांगना झलकारी बाई, राजकीय महिला पॉलीटेकनिक, झोंसी के परिसर में भवन निर्माण में बाधक 44 वृक्षों का मूल्यांकन उपरान्त सूची प्रेषित की गई है। संस्था परिसर में भवन निर्माण के लिये, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, झोंसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है एवं इनके कार्यालय के पत्रसं0-733/2024-25 दिनांक 30-04-2024 के माध्यम से एआईसीटीई मानक के अनुरूप विस्तारीकरण के कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही जिलाधिकारी, महोदय के द्वारा भी उक्त के अनुपालन के लिये निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्माण कार्य के लिये भूमि उपलब्ध कराने हेतु मूल्यांकित 44 वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने की कृपा करें, जिससे पेड़ों के कटान के उपरान्त भूमि कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू है। जिस कारण से कटे वृक्षों की भीलामी प्रक्रिया उक्त आचार संहिता के समापन के उपरान्त अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

दिनांक 08मई,2024

पत्रसं0-180-84/रामपा0-भवन/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, झोंसी।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झोंसी।
- 4- अधेशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, झोंसी

प्रतिकर

12/10/24

प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य

वीरांगना झलकारी बाई

राजकीय महिला पॉलीटेकनिक

झोंसी

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक,  
झॉंसी।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झॉंसी वन प्रभाग, झॉंसी।

विषय— एआईसीटीई मानक के अनुरूप भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में।

पत्रांक -180-84/रामपा0-भवन/2024

दिनांक 08मई,2024

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रसं0-3398/37-1दिनांक 09अप्रैल, 2024 के द्वारा वीरांगना झलकारी बाई, राजकीय महिला पॉलीटेकनिक, झॉंसी के परिसर में भवन निर्माण में बाधक 44 वृक्षों का मूल्यांकन उपरान्त सूची प्रेषित की गई है। संस्था परिसर में भवन निर्माण के लिये, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, झॉंसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है एवं इनके कार्यालय के पत्रसं0-733/2024-25 दिनांक 30-04-2024 के माध्यम से एआईसीटीई मानक के अनुरूप विस्तारीकरण के कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही जिलाधिकारी, महोदय के द्वारा भी उक्त के अनुपालन के लिये निर्देशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्माण कार्य के लिये भूमि उपलब्ध कराने हेतु मूल्यांकित 44 वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने की कृपा करें, जिससे पेड़ों के कटान के उपरान्त भूमि कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपलब्ध कराई जा सके।

वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू है। जिस कारण से कटे वृक्षों की नीलामी प्रक्रिया उक्त आचार संहिता के समापन के उपरान्त अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

दिनांक 08मई,2024

प्रधानाचार्य

वीरांगना झलकारी बाई  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक  
झॉंसी (उपस्थित)

पू0सं0-180-84/रामपा0-भवन/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, झॉंसी।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झॉंसी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, झॉंसी

*राजेश्वर/राजेश्वर*

( एल0एस0यादव )

प्रधानाचार्य

50/20/20  
झॉंसी

20/05/24

4  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
झॉंसी वन प्रभाग, झॉंसी

29	सुबबूल	80	2-3	463	हरे व खड़े
30	सुबबूल	85	2-3	463	हरे व खड़े
31	छेवला	140	4-5	1737	हरे व खड़े
32	रेवजा	70	2-3	463	हरे व खड़े
33	छेवला	50	1-2	232	हरे व खड़े
34	सुबबूल	70	2-3	463	हरे व खड़े
35	नीम	60	1-2	232	हरे व खड़े
36	सुबबूल	65	2-3	463	हरे व खड़े
37	सुबबूल	70	2-3	463	हरे व खड़े
38	सुबबूल	65	2-3	463	हरे व खड़े
39	सुबबूल	80	2-3	463	हरे व खड़े
40	सुबबूल	85	2-3	463	हरे व खड़े
41	शीशम	70	2-3	1567	हरे व खड़े
42	सुबबूल	60	2-3	463	हरे व खड़े
43	रेवजा	80	2-3	463	हरे व खड़े
44	शीशम	80	2-3	1567	हरे व खड़े
योग- 24014					

नोट- उपरोक्त वृक्ष अयोग्य की श्रेणी में है सागौन को छोड़कर उपरोक्त वृक्षों का मूल्य 23628


का 50% वृक्षों का मूल्य= 11814

1 सागौन का मूल्य= 386

कुल योग= 12200/- (बारह हजार दो सौ रुपये मात्र)

भवदीय

  
(अधीनस्थ वन अधिकारी)  
झाँसी रेंज

  
प्रद्युम्न सिंह धनौरिया  
व०व०, झाँसी रेंज  
७५-५-२५

  
अधीनस्थ वनाधिकारी,  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

सेवा में,

क्षेत्रीय वनाधिकारी,  
झांसी रेंज।

विषय- वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी के परिसर में बिल्डिंग निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी झांसी का पत्रांक 3281/37-1, दिनांक 01.04.2024।

महोदय,

आपके आदेशानुसार मौके की जांच की, जांच में वीरांगना झलकारी बाई राजकीय महिला पॉलीटेक्निक झांसी के परिसर में एआईसीटीई डिफिसियेन्सी के अन्तर्गत कार्यवाही संस्था द्वारा बिल्डिंग निर्माण कार्य कराया जाना है। नव निर्माण स्थल पर बाधक वृक्षों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	प्रजाति	गोलाई (सेमी०)	व्यास श्रेणी	मूल्य	अभियुक्ति
1	बेरी	110	3-4	772	हरे व खड़े
2	छेवला	90	2-3	463	हरे व खड़े
3	सूबबूल	80	2-3	463	हरे व खड़े
4	छेवला	120	3-4	772	हरे व खड़े
5	सूबबूल	70	2-3	463	हरे व खड़े
6	छेवला	75	2-3	463	हरे व खड़े
7	सूबबूल	101	3-4	772	हरे व खड़े
8	चिरील	70	2-3	463	हरे व खड़े
9	सूबबूल	60	1-2	232	हरे व खड़े
10	सूबबूल	100	3-4	772	हरे व खड़े
11	छेवला	50	1-2	232	हरे व खड़े
12	चिरील	70	2-3	463	हरे व खड़े
13	छेवला	70	2-3	463	हरे व खड़े
14	छेवला	65	2-3	463	हरे व खड़े
15	छेवला	70	2-3	463	हरे व खड़े
16	छेवला	75	2-3	463	हरे व खड़े
17	छेवला	90	2-3	463	हरे व खड़े
18	छेवला	85	2-3	463	हरे व खड़े
19	बबूल	85	2-3	463	हरे व खड़े
20	बबूल	70	2-3	463	हरे व खड़े
21	सूबबूल	80	2-3	463	हरे व खड़े
22	सागीन	60	1-2	386	हरे व खड़े
23	नीम	55	1-2	232	हरे व खड़े
24	सूबबूल	110	3-4	772	हरे व खड़े
25	बेरी	55	1-2	232	हरे व खड़े
26	छेवला	60	1-2	232	हरे व खड़े
27	सूबबूल	110	3-4	772	हरे व खड़े
28	बेरी	90	2-3	463	हरे व खड़े

*[Handwritten Signature]*

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी**

पत्रांक- 3818/37-1, दिनांक, झांसी, मई, 13 - 2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य,  
वीरांगना झलकारी बाई,  
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक,  
झांसी।

विषय :- ए0आई0सी0टी0ई0 मानक के अनुरूप भवन निर्माण में बाधक वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-180-84/रामपा0-भवन/2024, दिनांक 08.05.2024।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र जिसके द्वारा वीरांगना झलकारी बाई, राजकीय महिला पॉलीटेकनिक, झांसी के परिसर में भवन निर्माण में बाधक 44 वृक्षों के निस्तारण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण वृक्षों की नीलागी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त अमल में लाई जायेगी और उक्त वृक्षों के कटान का अनुज्ञा पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त समस्त वृक्ष सरकारी व राजकीय महिला पॉलीटेकनिक की सम्पत्ति है, जिसका निस्तारण नियमानुसार नीलागी के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है। आप द्वारा वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उक्त पेड़ को मौके से हटवाने के पश्चात आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर प्रकाष्ठ का निस्तारण नियमानुसार किया जा सकता है।

अतः आप उक्त पेड़ के कटान/पातन की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी/कर्मचारी को निम्नलिखित अभिलेखों सहित इस कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि वांछित अनुमति नियमानुसार निर्गत की जा सकें।

1-पेड़ों की फोटो।

2-नामित अधिकारी/कर्मचारी का आधार कार्ड एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो।

3-प्रति वृक्ष रू0 1000/- की जमानत (एन0एस0सी0)।

4-प्रति वृक्ष रू0 100/- कटान शुल्क।

012

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी



वन विभाग (उ० प्र० सरकार)

Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



15	नीम	60	विकास कार्य में बाधक	60	विकास कार्य में बाधक
16	सागौन	60	विकास कार्य में बाधक	60	विकास कार्य में बाधक
17	शीशम	70	विकास कार्य में बाधक	70	विकास कार्य में बाधक
18	शीशम	80	विकास कार्य में बाधक	80	विकास कार्य में बाधक
19	बबूल	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
20	बबूल	85	अन्य कारण	85	विकास कार्य में बाधक
21	बेरी	55	अन्य कारण	55	विकास कार्य में बाधक
22	बेरी	90	अन्य कारण	90	विकास कार्य में बाधक
23	बेरी	110	अन्य कारण	110	विकास कार्य में बाधक
24	सुबबूल	60	अन्य कारण	60	विकास कार्य में बाधक
25	सुबबूल	60	अन्य कारण	60	विकास कार्य में बाधक
26	सुबबूल	65	अन्य कारण	65	विकास कार्य में बाधक
27	सुबबूल	65	अन्य कारण	65	विकास कार्य में बाधक
28	सुबबूल	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
29	सुबबूल	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
30	सुबबूल	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
31	सुबबूल	80	अन्य कारण	80	विकास कार्य में बाधक
32	सुबबूल	80	अन्य कारण	80	विकास कार्य में बाधक
33	सुबबूल	80	अन्य कारण	80	विकास कार्य में बाधक
34	सुबबूल	80	अन्य कारण	80	विकास कार्य में बाधक
35	सुबबूल	85	अन्य कारण	85	विकास कार्य में बाधक
36	सुबबूल	85	अन्य कारण	85	विकास कार्य में बाधक
37	सुबबूल	100	अन्य कारण	100	विकास कार्य में बाधक
38	सुबबूल	101	अन्य कारण	101	विकास कार्य में बाधक
39	सुबबूल	110	अन्य कारण	110	विकास कार्य में बाधक
40	सुबबूल	110	अन्य कारण	110	विकास कार्य में बाधक
41	रेवजा	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
42	रेवजा	80	अन्य कारण	80	विकास कार्य में बाधक
43	चिरील	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक
44	चिरील	70	अन्य कारण	70	विकास कार्य में बाधक

एन एस सी संख्या: 020115994078,  
020115995187,  
020115995864

डाकघर का नाम Head Post Office Jhansi राशि : 44000.00

प्रमाणित वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी

<http://upforest.gov.in/PaymentSuccessFeling.aspx>

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी

पत्रांक- 596 /26-18 (IGRS) दिनांक, झांसी, जून, -28-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी।

विषय- जन सुनवाई (आई0जी0आर0एस0) शिकायत सं0-60000240097590, दिनांक 18.05.2024 की जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका कार्यालय पत्रांक-4263/26-18, दिनांक 14.08.2024।

महोदय,

विषयवर्तित प्रकरण जिसके तहत शिकायतकर्ता-श्री नरेन्द्र कुमरवाहा, पता-पिछोर, नारायण बाग के पास, झांसी द्वारा राजकीय उद्यान नारायण बाग में सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों हरे-भरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गयी है।

उक्त प्रकरण की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह बढौरिया, वनदरोगा द्वारा कराई गयी। जांच अधिकारी की आख्यानानुसार प्रश्नगत प्रकरण की जांच दिनांक 28.08.2024 को मौके पर जाकर की गयी। मौके पर शिकायतकर्ता के दूरभाष संख्या-9452041529 पर सम्पर्क कर प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण कराने हेतु सूचित किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया है कि वह अभी झांसी से बाहर होने के कारण मौके पर नहीं आ सकते। तत्पश्चात नारायण बाग उद्यान के सम्बन्धित स्टाफ श्री पुष्पेन्द्र रावौर, गार्डन प्रभागी के साथ प्रश्नगत क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नारायण बाग कैम्पस में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 02 से 03 वर्ग मीटर सौन्दर्यीकरण व रोड़ (अपैव्स) निर्माण आदि कार्य कराये गये थे। उक्त निर्माण कार्य में रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है, मनमाने ढंग से कार्य कराये जाने के कारण मौके पर कई वृक्ष पूर्ण रूप से सूख गये हैं अथवा सूखने की स्थिति में हैं। कुछ स्थानों पर रोड़ के किनारे वृक्ष जड़ सहित उखाड़कर डाल दिये गये हैं। मौके पर सूखे व उखड़े वृक्षों को चिह्नित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की स्थिति
1	केसिया सेमिया-1	खड़ा/सूख रहा है।
2	नीम-3	खड़ा/सूख गया है।
3	अर्जुन-3	हारा खड़ा है।
4	गोल्डमोहर-1	जड़ सहित उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल दिया गया है।
5	धिरौल-3	जड़ सहित उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल दिया गया है।
6	सिरस-4	01 हरा खड़ा 02 सूखे खड़े 01 उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल हुआ है।
7	खजूर-1	रोड़ किनारे डाला हुआ है।

उक्त प्रकरण में उद्यान विभाग एवं स्मार्ट सिटी/ठेकेदार द्वारा कार्य कराये जाने में वृक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। रोड़ ऐसी बनाई गयी है कि वृक्षों को पानी/जड़ों को हवा हेतु बिलकुल जगह नहीं छोड़ी गयी है। सम्भवता पेड़ों के थावला हेतु जमीन न छोड़ने के कारण पेड़ सूख गये हैं। मौके पर निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के पातन हेतु सक्षम स्तर/वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी है, जिस कारण मौके पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 का उल्लंघन पाया गया, जिसके लिए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः जांच अधिकारी की उपरोक्तानुसार जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार जांच रिपोर्ट।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वन अधिकारी  
श्री0जी0नरेन्द्र

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
झांसी।

विषय- जन सुनवाई (आई0जी0आर0एस0) शिकायत सं0-60000240097590, दिनांक 18.05.2024 की जांच के सम्बन्ध में।

संदर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक-4263/26-16, दिनांक 14.06.2024।  
महोदय,

विषयवर्तित प्रकरण जिसके तहत शिकायतकर्ता-श्री नरेन्द्र कुमरावाहा, पता-पिछोर, नारायण बाग के पास, झांसी द्वारा राजकीय उद्यान नारायण बाग में सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों हरे-भरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गयी है।

उक्त प्रकरण की जांच प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2024 को मौके पर जाकर की गयी। मौके पर शिकायतकर्ता के दूरभाष संख्या-9452041529 पर सम्पर्क कर प्रसन्न क्षेत्र का निरीक्षण कराने हेतु सूचित किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया है कि वह अभी झांसी से बाहर होने के कारण मौके पर नहीं आ सकते। तत्पश्चात नारायण बाग उद्यान के सम्बन्धित स्टाफ श्री पुष्पेन्द्र राठौर, गार्डन प्रभारी के साथ प्रसन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नारायण बाग कैम्पस में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 02 से 03 वर्ष पूर्व सौन्दर्यीकरण व रोड़ (अपैक्स) निर्माण आदि कार्य कराये गये थे। उक्त निर्माण कार्य में रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है, मनमाने ढंग से कार्य कराये जाने के कारण मौके पर कई वृक्ष पूर्ण रूप से सूख गये हैं अथवा सूखने की स्थिति में हैं। कुछ स्थानों पर रोड़ के किनारे वृक्ष जड़ सहित उखाड़कर डाल दिये गये हैं। मौके पर सूखे व उखड़े वृक्षों को चिन्हित किया गया, जितका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की स्थिति
1	केसिया सेमिया-1	खड़ा/सूख रहा है।
2	नीम-3	खड़ा/सूख गया है।
3	अर्जुन-3	हारा खड़ा है।
4	गोल्डमोहर-1	जड़ सहित उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल दिया गया है।
5	किरील-3	जड़ सहित उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल दिया गया है।
6	सिरस-4	01 हरा खड़ा 02 सूखे खड़े 01 उखाड़ कर रोड़ किनारे डाल हुआ है।
7	खजूर-1	रोड़ किनारे डला हुआ है।

उक्त प्रकरण में उद्यान विभाग एवं स्मार्ट सिटी/ठेकेदार द्वारा कार्य कराये जाने में वृक्षों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। रोड़ ऐसी बनाई गयी है कि वृक्षों को पानी/जड़ों को हवा हेतु बिलकुल जगह नहीं छोड़ी गयी है। सम्भवता पेड़ों के थावला हेतु जमीन न छोड़ने के कारण पेड़ सूख गये हैं। मौके पर निर्माण कार्य में बाधक वृक्षों के पातन हेतु सक्षम स्तर/वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी है, जिस कारण मौके पर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 का उल्लंघन पाया गया, जिसके लिए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जांच अधिकारी

  
(प्रद्युम्न सिंह भदौरिया)

वनदफ्ता  
झांसी रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 18/12/24 अधिवेत्र (रिज)  
 प्रसूचना सं० 120 पेज नं० 970  
**R.C No 34/2024-25 JHANSI RANGE**

पिता का नाम और निवास स्थान विकारागुणा ध० सुरेबाघप्रगुता 60,  
 गणेशबाजार झांसी 314 व अन्धा।

2-सखी का नाम प्रमोद श्रीवास्तव (स्वतंत्र) व पुत्रके श्रीवास व० २

3-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दिनांक 18/12/24 को जांच प्रकरण नं०  
 002400 07590 रि. 18/12/24 को

- 1- कृषि कार्यकर्ता 1-15m 2- अज्ञात 3- 2.30m, 2.20m 4- 2.55m  
 2- 8-मूली 3- 1.70m, 1.75m 4- 2.40m  
 3- 3-मूली 1- 1.20m 4- 2.40m  
 4- 3-मूली 3- 0.95m, 1.20m 4- 2.40m  
 5- बालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) 2.60m, 1.40m

पथम प्रति प्रभागीय वनाधिकारी झांसी को सूचनाथ प्रेषित।  
 द्वितीय प्रति जाँच अधिकारी श्री अरुण सिंह अहंठ्या को जाँच हेतु प्रेषित।

6-प्रसूचना (रिपोर्ट) के बोरे और प्रमाण आदि का उल्लेख गहरेदार

निवेदन है कि (UCPS) पनरुगाड झांसी

002400 07590 रि. 18/12/24 को जांच प्रकरण में नारायण बाबू राजकौट नाम के परिवार में स्मार्ट सिटी के इन्फार्म सेटिंग करवा Apex मार्ग का मार्ग काटने कार्य लगभग 2.5 वर्ष पूर्व कराये गये थे. की जांच जोके पर पुनर्जांच शर्तें आई- प्रकृति के साथ प्रकृत क्षेत्रों का निर्माण किया तो या कि निर्माण कार्य के रहने से 03 नं बने रहने को शक्ति पट्टे वाई आई। निम्न रंग इन्फो वसों की नाम रंग गहना की गई जो अशोका नुसर है प्रकृति द्वारा इस संस्था अधिनियम 1976 की धारा 410 के अंतर्गत पदाव किया गया है। उक्त लकड़ी को श्री पुत्रके गहरे गहरे प्रकृति की प्रमाण में दी गई। अतः रिपोर्ट सूचनाथ प्रेषित है

प्रभागीय वनाधिकारी  
 झांसी वन प्रभाग, झांसी


अधीन  
 (विकारागुणा)  
 7.1 उरमा






म ~~प्रमाण~~ का प्रमाण है। मैं ~~ए. सी. के~~  
परिसर

जिसमें परिसर के अंदर कुछ मकान थे,  
जिसमें अपेक्षित किमाने एवं अन्य लोगों के नाम लिखे थे  
जिसमें कुछ घरों में जाने वाले कुछ पैसों को रखा था।  
जिसमें जिसको अच्छी रोड किनारे रखी गई थी। मैं एक व्यक्ति को  
जिसमें एक कंपनी का नाम था, जिसने एक कंपनी को सौंप दिया है उसका  
अपवाद स्वीकार करवाएं तथा विभागीय फॉरम मानने को  
तैयार हूँ तथा मैं प्रतिवर्ष रकम रु 70,000/- रुपये  
जमा करने के तैयार हूँ मैं अपवाद प्रमाण करने की  
सुझावों ध्यान में रखकर ले बिना किसी प्रकार के  
धरती धारण में लिखकर दिए। यही मैं कथन ही  
(ध्यान)

  
(प्रमाणित रूप में)  
2-12-24  
मैंने

2/12/24

12 दिसंबर 18/12/24 में

  
(विभागीय अधिकारी)

24 No. 34/2024-25 Jhansi Range



सत्यमेव जयते

Annexure A

## Details of Additional Place of Business(s)

GSTIN	09AAFFS9843N1ZB
Legal Name	SURESH CHAND GUPTA
Trade Name, if any	M/S SURESH CHAND GUPTA

Total Number of Additional Places of Business(s) in the State 0

प्रभागीय वनाधिकारी  
झोंसी वन प्रभाग, झोंसी




(Amended)

Government of India  
Form GST REG-06  
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :09AAFPS9843N1ZB

1.	Legal Name	SURESH CHAND GUPTA			
2.	Trade Name, if any	M/S SURESH CHAND GUPTA,			
3.	Constitution of Business	Partnership			
4.	Address of Principal Place of Business	00, OUT SIDE KHANDERAO GATE, BEHIND SHREE RAM LODGE, Jhansi, Uttar Pradesh, 284002			
5.	Date of Liability	01/07/2017			
6.	Date of Validity	From	01/07/2017	To	Not Applicable
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority	Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017			
Signature					
Name		Deepthi Singh			
Designation		Assistant Commissioner			
Jurisdictional Office		Jhansi Sector-4			
9.	Date of issue of Certificate	17/08/2021			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of Business/Office(s) in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 17/08/2021 by the jurisdictional authority.

प्रभागीय वनाधिकार  
झॉंसी वन प्रभाग, झॉंसी



विष्णु गुप्त  
Vikash Gupta  
एन.एन.डी.एन. : 08/06/1982  
गण/ MALE

1989

श्रीराम अन्वय, श्रीराम पर्यटन

व.ड. : 9149 4847 5891 4363



प्रमाणित वनाधिकार  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी



~~भारत सरकार~~  
~~भारत~~ Ministry of India

**आपका:**  
S/O: सुरेश चंद्र गुप्ता, 60 गणेश बाजार, -, झाँसी, -,  
झाँसी जिला, झाँसी,  
उत्तर प्रदेश - 284002

**Address:**  
S/O: Suresh Chand Gupta, 60 GANESH  
BAZAR, -, JHANSI, -, Jhansi Khas, Jhansi,  
Uttar Pradesh - 284002



1989

VID: 9149 4847 5991 4383



विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी






सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN 09AAFF59843N1ZB  
 Legal Name SURESH CHAND GUPTA  
 Trade Name, if any M/S SURESH CHAND GUPTA.

**Details of Managing / Authorized Partners**

1		Name	<u>SURESH CHAND GUPTA</u>
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh
2		Name	VIJAY GUPTA
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh
3		Name	VIKASH GUPTA
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh

प्रभागीय वनाधिकारी  
 झॉंसी वन प्रभाग, झॉंसी

वन विभाग झाँसी परिसर (सर्किल) झाँसी जन्म (जिर्णाला) झाँसी

वन अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 19713/2024/10 दिनांक 25-10-24

क्र० व० प्र० बुक सं० 120 रिपोर्ट नं० 5963  
R.C No-1-24-2024/15 झाँसी-2-रु

1-नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ना माहल

2-साक्षी का नाम फतेह जी पुत्रेन्द्र जी शर्मा वरुण

3-कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 25-10-24 में प्रो. उक्त आरोपक के माते के मातल डिपार्टमेंट में गुप्तता की वजह से आरोपक को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आरोपक के पिता जी के नाम - 58 मीटर (मात) में 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर गन लगी उठा कर अपनी सुलभ में रखी

4-मुख्य 2321-

5-पकड़ान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) जॉन्स जॉन्स के सम्बन्ध से विशेष कथन

प्रथम प्रति प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी का सूचनार्थ प्रेषित।  
द्वितीय प्रति जॉन्स अधिकारी श्री सुभाष कुमार को जॉन्स हेतु प्रेषित।  
शेखर अधिकारी झाँसी

6-प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण माला रिपोर्ट 25-10-24 में प्रो. उक्त आरोपक के माते के मातल डिपार्टमेंट में गुप्तता की वजह से आरोपक को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आरोपक के पिता जी के नाम - 58 मीटर (मात) में 1-2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर गन लगी उठा कर अपनी सुलभ में रखी।  
R.C No-1-24-2024/15 झाँसी-2-रु

जोड़िए

जोड़िए  
05/11/24

प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

श्री  
श्री  
५५०

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 4230 /10-1, दिनांक, झांसी, 8/5/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
झांसी।

विषय- ओ0ए0 संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन में आख्या।

संदर्भ- जिलाधिकारी, झांसी का पत्रांक-34/एसटी-एनजीटी/2024-25, दिनांक 21.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी के कार्यालय पत्रांक-517/26-16, दिनांक 09.04.2025 एवं पत्रांक-557/26-1, दिनांक 28.04.2025 द्वारा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी झांसी के पत्रांक 905/10-1 दिनांक 02.05.2025 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है-

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 के अनुसार संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन कराया गया था व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूबबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा टेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के टेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरूआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु0 दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी, जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-प्रति संलग्न है।

क्र0सं0	प्रजाति	गोलाई (मी0 में)	व्यास श्रेणी
1	केसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6
7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

8	गोल्ड मोहर	1.20	3-4
9	चिरौल	0.95	3-4
10	चिरौल	1.20	3-4
11	चिरौल	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/26-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रमाणीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की जांच आख्या व उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की रिपोर्ट आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 4230 /अ/समादिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी।

✓ 2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

## कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी

पत्रांक 305 /10-1, दिनांक, झांसी, 02 मई 2025

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी।

**विषय:-** ओ0ए0 संख्या-1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 व 24.02.2025 के अनुपालन में आख्या।

**संदर्भ:-** जिलाधिकारी, झांसी का पत्रांक-34/एसटी-एनजीटी/2024-25, दिनांक 21.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी से आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी ने कार्यालय पत्रांक-517/26-16, दिनांक 09.04.2025 एवं पत्रांक-557/26-1, दिनांक 28.04.2025 द्वारा विषयक प्रकरण में निम्नानुसार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है-

श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी के परिसर में अवैध कटान बावत् की गयी शिकायत की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा से कराई गयी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024 के अनुसार संस्थान द्वारा 44 वृक्ष विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन कराया गया था व संस्थान द्वारा नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है, परन्तु भवन निर्माण में सामग्री आपूर्ति जैसे बालू, गिट्टी, ईट आदि जगह-जगह डालने पर 18 वृक्ष सूखबूल के विभिन्न मापों की क्षतिग्रस्त हो गये, जिसका वन अपराध संख्या-15/2024-25 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस की छायाप्रति संलग्न है। वन अपराध को इजरा उपरान्त संस्थान के प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा गया। प्रधानाचार्य द्वारा अपने मौखिक रूप से अवगत कराया कि समय-समय (रात्रि) में वाहन चालकों द्वारा लापरवाही से सामग्री डाल दी गयी, जिससे वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। इस बावत् प्रधानाचार्य द्वारा ठेकेदार से वृक्षों का क्षति मूल्य वन विभाग में जमा करने बावत् कहा गया। भवन निर्माण के ठेकेदार राजेश सिंह पुत्र मनमोहन सिंह निवासी बरई, थाना बरुआसागर झांसी द्वारा अपने लिखित बयानों में अपना अपराध स्वीकार किया व वन विभाग का प्रतिकर ई-3 रसीद संख्या-4403/49, दिनांक 03.07.2024 से 10000/- (रु० दस हजार मात्र) जमा किया। एच-2 केस को क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी के पत्रांक-269/10-1, दिनांक 22.11.2024 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया गया जिसको इस कार्यालय के पत्रांक पत्रांक-423/10-1, दिनांक 30.09.2024 द्वारा एच-2 केस के प्रश्नगत हेतु संस्तुति सहित प्रभागीय कार्यालय, झांसी को प्रेषित कर दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या-640240097590 जो नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा नारायण बाग में अवैध कटान के सम्बन्ध में की गयी थी, जिसमें निम्न प्रजातियों के वृक्षों का अवैध कटान पाया गया, जिसका वन अपराध संख्या-34/2024-25, दिनांक 18.12.2024 को इजरा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-प्रति संलग्न है।

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई (मी० में)	व्यास श्रेणी
1	केसिया सेमिया	1.00	3-4
2	बकायन	2.30	6 से अधिक
3	बकायन	2.20	6 से अधिक
4	बकायन	2.55	6 से अधिक
5	अर्जुन	1.70	5-6
6	अर्जुन	1.75	5-6

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

7	अर्जुन	2.40	6 से अधिक
8	गोल्ड मोहर	1.20	3-4
9	चिरौल	0.95	3-4
10	चिरौल	1.20	3-4
11	चिरौल	1.00	3-4
12	सिरस	2.10	6 से अधिक
13	सिरस	1.20	3-4
14	सिरस	1.40	4-5
15	सिरस	2.00	6 से अधिक

एच-2 केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, वनदरोगा द्वारा की गयी। नारायण बाग के प्रांगण में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण कार्य, जिसमें किनारे-किनारे पाथ का निर्माण (एपेक्स) कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया। पाथ के निर्माण में बाधक वृक्षों को ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से उखाड़ दिये गये, वनदरोगा की जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-596/26-1, दिनांक 28.06.2024 से प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को प्रेषित की गयी। (छायाप्रति संलग्न है।) जांच के दौरान ठेकेदार विकास गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी गणेश बाजार द्वारा उक्त अवैध रूप से उखाड़े गये। वृक्षों का प्रतिकर ई-3 संख्या-4403/66, दिनांक 24.12.2024 से 70000/- (रु० सत्तर हजार मात्र) जमा किया। जिसको दिनांक 29.01.2025 को प्रशमन हेतु उच्चस्तर को प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न है।)

मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका वन अपराध संख्या-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गयी। एच-2 केस में विभाग द्वारा प्रतिकर 10000/- (रु० दस हजार मात्र), जिसकी ई-3 रशीद संख्या-4403/73, दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। एच-2 केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी, कार्यालय के पत्रांक-544/10-1, दिनांक 28.04.2025 से उच्चस्तर को प्रेषित की गयी।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, झांसी की जांच आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रभारी, क्षेत्रीय वन  
आंकलन करे/सूचना भिजे

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी

28/02/05/25

भदौरिया  
Anmol

(विनोद कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी

प्रभागीय वन...  
झांसी वन प्रभाग, झांसी.

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी  
पत्रांक 5-5) / 11-1 दिनांक अप्रैल 28 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी।

द्वारा:- उपप्रभागीय वनाधिकारी,  
झांसी।

विषय:- जनसुनवाई शिकायत सं०-60000240102550 के सम्बन्ध में जांच आख्या।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक 602/26-16 दिनांक 24.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 517/26-1 दिनांक 09.04.2025।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र से नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा की गयी शिकायत की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रेषित की थी। मेडीकल कॉलेज के सामने कैमासन पहाड़िया से करगुवां जी तक जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे एक वृक्ष रेंवजा का गोलाई 0.85 मी० खुदाई करते समय क्षतिग्रस्त हो गया जिसका वन अपराध सं०-24/2024-25 अज्ञात में इजरा कर कार्यवाही की गई केस की जांच श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा को दी गयी थी। श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया वनदरोगा द्वारा जांच में अभियुक्त का पता लगाकर अभियुक्त से केस का प्रतिकर 10000/- (दस हजार मात्र) वसूल किया जिसकी E3 रशीद सं०-4403/73 दिनांक 25.04.2025 से वसूल किया (रशीद की छायाप्रति संलग्न है)। तत्पश्चात् श्री प्रद्युम्न सिंह भदौरिया द्वारा वन अपराध सं०-24/2024-25 में अन्तिम जांच रिपोर्ट लगाकर प्रेषित की। केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 544/10-1 दिनांक 28.04.2025 से संलग्न कर उपप्रभागीय वनाधिकारी, झांसी की सेवा में प्रेषित किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 517/26-1 दिनांक 09.04.2025 में इस प्रकरण को सम्मिलित करने की कृपा करें।

अतः उक्त शिकायत के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सिपाई  
उपप्रभागीय

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी  
पत्रांक 12614 दिनांक

महोदय,

क्षेत्रीय वनाधिकारी, झांसी की आख्या मूल  
में संस्तुति सहित अग्रसारित।

*(Handwritten Signature)*

भवदीय

*(Handwritten Signature)*  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झांसी रेंज

*(Handwritten Signature)*  
क्षेत्रीय वनाधिकारी,  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

# वन विभाग, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प०

वन प्रभोगी कार्यालय  
उ०, बु. वृत्त, झांसी

झांसी वन प्रभाग

पृष्ठ सं०

1/20-73

4403

दिनांक

25-4-25

या (शब्दों में)

दीपक कुमार डन-मु-गवत रेंजवा कि चमेदिनाग हसीरी खाँसी  
हम हजार २० मात्र

राशि बाबत

१८.१०-२५/२०२५-२६ हरिद्वारी प्रमुख कि नदी किनारे  
हम २००० रुपये प्राप्त हुई।

10,000

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
झांसी

प्रभोगी वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

सेवा में

अध्यक्ष, वन विभाग  
 झाँसी

विषय - 192 हेक्टर का अतिरिक्त वन क्षेत्र  
 संबंध में

संदर्भ में कि वन विभाग के पास 192 हेक्टर का अतिरिक्त वन क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अनुरोध है।

क्र. संख्या	ES नंबर/विवरण	क्षेत्रफल	स्थिति
8/22.2123	4403/18 अ. 1. 24	1050 वर्ग	192 हेक्टर वन क्षेत्र में शामिल
23/2024.15	4403/15 अ. 1. 24	20000 वर्ग	ES नंबर 18
19/21.21.25	4403/14 अ. 1. 24	1500 वर्ग	
20/2024.25	4403/23 अ. 1. 24	10,000 वर्ग	
4403/5/24.25	4403/25 अ. 1. 24	30,000 वर्ग	

  
 क्षेत्रीय वनाधिकारी  
 झाँसी

हरित झाँसी।

स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी



OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या 55/1/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2025-26

दिनांक: 20/05/2025

प्रेषक,

नगर आयुक्त  
नगर निगम, झाँसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी  
झाँसी।

विषय :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित OA.NO. 1075/2024 श्री नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 की अनुपालन आख्या।

महोदय,


उपर्युक्त क्रियक अवगत कराना है कि जे0डी0ए0, फॉरेस्ट वन विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर किये गये सर्वेक्षण में 971 स्थलों पर पेड़ों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य होने की आख्या प्राप्त हुयी थी। उक्त समस्त 971 स्थलों पर सुधार कार्य कराकर पक्का कार्य हटा दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप समस्त 971 स्थलों की कार्य के पहले एवं बाद की फोटो संलग्न है।

नगर निगम के द्वारा भविष्य में किये जाने वाले फुटपाथ एवं रोड निर्माण कार्य आदि में सतर्कता बरती जा रही है कि पेड़ों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य न किया जाये। इस हेतु निर्माण विभाग नगर निगम, झाँसी को विशेष रूप से निर्देशित कर दिया गया है। यह भी कि यदि उपर्युक्त 971 वृक्षों के अतिरिक्त भविष्य में यदि किसी वृक्ष के इर्द-गिर्द पक्का कार्य पाया जायेगा तो उसे तत्काल सही करा दिया जायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम, झाँसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70,000 (सत्तर हजार) पौधा रोपण का कार्य किया गया है। जिसमें महिला पॉलिटेक्निक परिसर के निकट मियावाकी पद्धति से 31,600 पौधा रोपण किया गया है। अधीक्षक राजकीय उद्यान, झाँसी ने अपने पत्रांक संख्या - 352/वृहद वृक्षारोपण/2025-26 दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नारायण बाग में 2,500 पौधरोपण का कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है। वृक्षारोपण के फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

अस्तु अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार।

  
नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

स्वच्छ झाँसी।



संख्या 377/पी0ए0/अ0न0आ0/न0नि0/2024-25

दिनांक: 04/12/2024

आदेश

मुख्य अभियन्ता  
जनकार्य विभाग  
नगर निगम, झाँसी।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित O.A. संख्या-1075/2024 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के दिनांक 21.08.2024 में निम्न आदेश पारित किये गये

"2. The Tribunal by order dated 17.07.2023 in the matter of Vijay Kishore Goswami vs. State of Uttar Pradesh & Ors. in OA No. 175/2022 after taking note of the order of Delhi High Court (Kalpavnksh v. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 1772/2007 and S.C. Jain vs. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 11162/2009) has already issued direction for other areas for de-concretizing such trees by observing as under:

"16. The reply submitted by the respondents and the report of the Committee reveals that after issue of Notification by the State of Uttar Pradesh in 2018, no construction has been taken to concretize the area and G.O. is regularly being complied. Non-compliance has not been reported after 2018. However, we direct that the G.O. issued by the State of Uttar Pradesh with regard to concretization and Guidelines issued for Greening of Urban Areas and Landscaping must be complied in letter and spirit."

इस सम्बन्ध में उक्त आदेश के अनुपालन में वृक्षों के इर्द-गिर्द मानक के अनुसार 6'X6' कच्ची भूमि छोड़ते हुए एवं भविष्य में वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का चबूतरा व कंक्रीटीकरण का कार्य न कराया जाना सुनिश्चित करें।

चूंकि प्रकरण पर्यावरण से सम्बन्धित होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील है तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आच्छादित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

o/c नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

Vijay  
04-12-24

fr

नारायणबाग में वृक्षरोपण



राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में वृक्षारोपण



Decimal DMS  
 Latitude 25.477776 25°28'39"N  
 Longitude 78.561394 78°33'49"E  
 2025-05-20(Tue) 01:10(pm)  
 45°C  
 113°F



Decimal DMS  
 Latitude 25.477807 25°28'40"N  
 Longitude 78.561396 78°33'49"E  
 2025-05-20(Tue) 01:10(pm)  
 45°C  
 113°F



Decimal DMS  
 Latitude 25.477807 25°28'40"N  
 Longitude 78.561396 78°33'49"E  
 2025-05-20(Tue) 01:10(pm)  
 45°C  
 113°F



Decimal DMS  
 Latitude 25.477879 25°28'41"N  
 Longitude 78.561429 78°33'41"E  
 2025-05-20(Tue) 01:09(pm)  
 45°C  
 113°F



Decimal DMS  
 Latitude 25.477898 25°28'41"N  
 Longitude 78.561396 78°33'49"E  
 2025-05-20(Tue) 01:09(pm)  
 45°C  
 113°F



Decimal DMS  
 Latitude 25.4779 25°28'41"N  
 Longitude 78.561367 78°33'41"E  
 2025-05-20(Tue) 01:09(pm)  
 45°C  
 113°F

प्रेषक,

अधीक्षक  
राजकीय उद्यान झाँसी।

सेवा में,

अपर नगर आयुक्त महोदय,  
झाँसी।

पत्रांक 352 / वृहद वृक्षारोण / 2025-26 / दिनांक 20/5/2025

विषय- वृहद वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 में रोपित किये गये पौधों के सम्बन्ध में-  
महोदय,

उपरोक्त विषयक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 में राजकीय उद्यान नारायण बाग परिसर में उद्यान विभाग द्वारा 2500 पौधों का रोपण किया गया है। सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है।

CE/श्री. [Signature]

4  
21/05/25  
[Signature]

[Signature]  
अधीक्षक  
राजकीय उद्यान झाँसी।

[Signature]

प्रारूप -1

पेड़ों के इर्द गिर्द डी-काल्सीटाइजेशन की स्थिति

वार्ड संख्या - 01

वार्ड का नाम - हवारी प्रथम

क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस दृश स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस दृश स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	1			नगर निगम
2	1			नगर निगम
3	1			नगर निगम
4	1			नगर निगम
5	1			नगर निगम
6	1			नगर निगम

अवर सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसाँधी अभियन्ता  
सहायक अभियन्ता नगर निगम, झाँसी

मुख्य धीमेयुक्त  
नगर निगम, झाँसी

SV

6

7	1			नगर निगम
8	1			नगर निगम
9	1			नगर निगम
10	1			नगर निगम

*Handwritten signature*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Handwritten signature*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Handwritten signature*

अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Handwritten signature*

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


प्रारूप -1


पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति


वार्ड संख्या - 02


वार्ड का नाम - Taalpara- Ist.









क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	2			स्थानीय लोग


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 03			वार्ड का नाम - Bhattagaon	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य कराने वाली एजेन्सी/संस्था का नाम
1	3			नगर निगम
2	3			नगर निगम
3	3			नगर निगम
4	3			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

		प्रकार -1		वेदों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति	
		वार्ड संख्या - 04	वार्ड का नाम - खुशीपुरा		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उत्त वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्ड करने वाली एजेंसी/संस्थान का नाम	
1	4			नगर निगम	
2	4			नगर निगम	
3	4			नगर निगम	
4	4			स्थानीय लोग	
5	4			नगर निगम	
6	4			नगर निगम	

अविरे अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

(2)  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम - 4

अधिसाधी अभियन्ता मुख्या अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी नगर निगम, झाँसी

7	4			नगर निगम
8	4			नगर निगम
9	4			नगर निगम
10	4			नगर निगम
11	4			नगर निगम
12	4			नगर निगम
13	4			नगर निगम

Handwritten: *Handwritten*  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

Handwritten: *Handwritten*  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी















14	4			नगर निगम
15	4			नगर निगम
16	4			नगर निगम
17	4			स्थानीय लोग
18	4			स्थानीय लोग
19	4			स्थानीय लोग
20	4			नगर निगम

Hand Cut  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी















21	4			नगर निगम
22	4			नगर निगम
23	4			नगर निगम
24	4			नगर निगम
25	4			नगर निगम
26	4			नगर निगम
27	4			नगर निगम

रुत कर  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


28	4			नगर निगम
29	4			नगर निगम
30	4			नगर निगम
31	4			नगर निगम
32	4			स्थानीय लोग
33	4			नगर निगम
34	4			नगर निगम

*Hand Copy*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंरी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंरी

*Handwritten initials*  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंरी

*Handwritten initials*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंरी











35	4			नगर निगम
36	4			नगर निगम
37	4			नगर निगम


*Pratik Singh*  
J.E.  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


U.  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*R.*  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*H.*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप - 1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की विधि				
वार्ड संख्या - 05			वार्ड का नाम - Isaitola-I	
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य करने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	5			नगर निगम
2	5			नगर निगम
3	5			नगर निगम
4	5			नगर निगम
5	5			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1

पेड़ों के पुनर्गिरि जी-कान्ग्रीटाइजेसन की स्थिति

वार्ड का नाम - Nainagarh (Taliya)

वार्ड संख्या - 6















क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधकर कार्य से पूर्व उरा वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उरा वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य करवाने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	6			नगर निगम
2	6			नगर निगम
3	6			नगर निगम
4	6			नगर निगम
5	6			नगर निगम
6	6			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी













7	6			नगर निगम
8	6			नगर निगम
9	6			नगर निगम
10	6			नगर निगम
11	6			नगर निगम
12	6			नगर निगम
13	6			नगर निगम


*AG*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, औरी


*AG*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, औरी


*h*  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, औरी


*AP*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, औरी













14	6			नगर निगम
15	6			नगर निगम
16	6			नगर निगम
17	6			नगर निगम
18	6			नगर निगम
19	6			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















प्रारूप -1		पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कार्बोटाइजेसन की विधि		
वार्ड संख्या - 07		वार्ड का नाम - कछीघाना पुलिसा नं० . 9		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	7			नगर निगम
2	7			नगर निगम
3	7			नगर निगम
4	7			नगर निगम
5	7			नगर निगम
6	7			स्वामीय लोग


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


  
अधिसूची अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी











7	7			नगर निगम
8	7			स्थानीय लोग
9	7			स्थानीय लोग
10	7			नगर निगम
11	7			स्थानीय लोग
12	7			नगर निगम
13	7			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप - 1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 09			वार्ड का नाम - नई दस्ती प्रथम	
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	एक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	B			नगर निगम
2	B			नगर निगम
3	B			नगर निगम
4	B			नगर निगम
5	B			नगर निगम

*[Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*  
17/5/25  
CE













मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

प्रारूप -1

पेड़ों के हर्ष गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति

वार्ड संख्या - 09

वार्ड का नाम - इंसारी गिर्द (द्वितीय)

क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेन्सी/संस्था का नाम
1	9			नगर निगम
2	9			नगर निगम
3	9			नगर निगम
4	9			नगर निगम
5	9			नगर निगम
6	9			नगर निगम















अवर अभियन्ता

Ac

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोसी

अधिशेखी अभियन्ता  
सा.सं. 58/14















मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोसी

	9			नगर निगम
8	9			नगर निगम
9	9			नगर निगम
10	9			नगर निगम
11	9			नगर निगम
12	9			नगर निगम
13	9			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसापी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी नगर निगम, झाँसी

	9			नगर निगम
15	9			नगर निगम
16	9			नगर निगम
17	9			नगर निगम
18	9			नगर निगम
19	9			नगर निगम
20	9			नगर निगम


अवर अभियन्ता  
नगर निगम


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम


अधिसाधी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी नगर निगम, झाँसी


71/25/25













	9			नगर निगम
22	9			नगर निगम
23	9			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













प्रारूप -1				
रेडों के इर्द गिर्द डी-कान्सीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 10		वार्ड का नाम - नैनो घाट साउथ प्रथम		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	10			नगर निगम
2	10			नगर निगम
3	10			नगर निगम
4	10			नगर निगम
5	10			नगर निगम
6	10			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

मुख्यालय  
नगर निगम















7	10			नगर निगम
8	10			नगर निगम
9	10			नगर निगम
10	10			नगर निगम
11	10			नगर निगम
12	10			नगर निगम
13	10			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

14	10			नगर निगम
15	10			नगर निगम
16	10			नगर निगम
17	10			नगर निगम
18	10			नगर निगम
19	10			नगर निगम
20	10			नगर निगम


*Handwritten signature*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Handwritten signature*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











		प्रारूप - 1		पेड़ों के इर्द गिर्द की-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति	
		वार्ड संख्या - 11	वार्ड का नाम - Bahar Saiyar Gate		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्था का नाम	
1	11			नगर निगम	
2	11			नगर निगम	
3	11			नगर निगम	
4	11			नगर निगम	

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
आधेरावी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी  
17/5/25











प्रारूप -1				
पेड़ों के हर्ष निर्ध डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 12			वार्ड का नाम - रकूलपुरा	
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पटका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	12			स्थानीय लोग
2	12			स्थानीय लोग
3	12			नगर निगम
4	12			स्थानीय लोग
5	12			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













आरूप -1				
पेड़ों को इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटायोजन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 13			वार्ड का नाम - Kochabhanwar	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्थान का नाम
1	13			नगर निगम
2	13			नगर निगम
3	13			नगर निगम
4	13			नगर निगम
5	13			स्थानीय लोग

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1		फेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति		वार्ड का नाम - खुशीपुरा द्वितीय
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	प्रस्तावित कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	14			नगर निगम
2	14			नगर निगम
3	14			नगर निगम
4	14			नगर निगम
5	14			नगर निगम
6	14			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, जौहरी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, जौहरी


  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, जौहरी


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, जौहरी

7	14			
8	14			स्थानीय लोगो द्वारा निर्माण
9	14			नगर निगम
10	14			नगर निगम
11	14			स्थानीय लोगो द्वारा निर्माण
12	14			नगर निगम
13	14			स्थानीय लोगो द्वारा निर्माण

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी


  
 अधिशासी अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी


  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी















14	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
15	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
16	14			नगर निगम
17	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
18	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
19	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
20	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


(4)  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















21	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
22	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
23	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
24	14			स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण
25	14			नगर निगम
26	14			नगर निगम
27	14			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
आधशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी








28	14			नगर निगम
29	14			नगर निगम
30	14			नगर निगम
31	14			नगर निगम
32	14			नगर निगम
33	14			नगर निगम
34	14			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

आधशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी













35	14		नगर निगम
36	14		नगर निगम
37	14		नगर निगम
38	14		नगर निगम
39	14		नगर निगम
40	14		नगर निगम
41	14		नगर निगम


*SR*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


*AD*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


*K*  
जायराधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


*AP*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी













42	14			नगर निगम
43	14			नगर निगम
44	14			नगर निगम
45	14			नगर निगम
46	14			नगर निगम
47	14			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
आधेशाही अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

प्रारूप -1				
फेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 15			वार्ड का नाम - मरिया गाँव	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	15			नगर निगम
2	15			नगर निगम
3	15			नगर निगम
4	15			नगर निगम
5	15			नगर निगम
6	15			नगर निगम















अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

आध्यात्मिका अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

17/5/25










7	15			नगर निगम
8	15			नगर निगम
9	15			नगर निगम
10	15			नगर निगम
11	15			नगर निगम
12	15			नगर निगम
13	15			नगर निगम


अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


आयुक्त नगर निगम, झाँसी


17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी





14	15			नगर निगम
15	15			नगर निगम
16	15			नगर निगम
17	15			नगर निगम
18	15			नगर निगम
19	15			नगर निगम
20	15			नगर निगम


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झॉंसी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झॉंसी


  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, झॉंसी


  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झॉं. १

















प्रारूप -1					
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की विधिति					
वार्ड संख्या - 16			वार्ड का नाम - Bagicha Puliya No. 09		
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो		सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	16				नगर निगम
2	16				नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी





















  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रस्ताव - 1				
वेडों से इर्द गिर्द को-संगतीकरण के लिए				
खंड संख्या - 17		खंड का नाम - पन्चपुर डिवीजन		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुचारु कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुचारु कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	संस्था कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	17			नगर निगम
2	17			नगर निगम
3	17			नगर निगम
4	17			नगर निगम
5	17			नगर निगम
6	17			नगर निगम
7	17			स्व-सेवा लोग
8	17			स्व-सेवा लोग

अवर अभियंता  
नगर निगम, झांसी

सहायक अभियंता अधिशाही अभियंता  
नगर निगम, झांसी

मुख्य अभियंता  
नगर निगम, झांसी

8	17			नगर निगम
9	17			स्वामीय जोग
10	17			नगर निगम
11	17			स्वामीय जोग
12	17			नगर निगम
13	17			नगर निगम
14	17			नगर निगम
15	17			नगर निगम
16	17			नगर निगम
17	17			नगर निगम


*gyp*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*de*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*for*  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*H*  
17/5/25  
10  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











18	17			नगर निगम
19	17			नगर निगम
20	17			नगर निगम
21	17			नगर निगम
22	17			नगर निगम
23	17			नगर निगम
24	17			स्थानीय जोग
25	17			नगर निगम
26	17			स्थानीय जोग


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ. पी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ. पी

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ. पी


  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ. पी










27	17			स्थानीय जोग
28	17			नगर निगम
29	17			स्थानीय जोग
30	17			स्थानीय जोग
31	17			नगर निगम
32	17			नगर निगम
33	17			नगर निगम
34	17			नगर निगम
35	17			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

35	17			नगर निगम
37	17			नगर निगम
38	17			नगर निगम
39	17			नगर निगम
40	17			नगर निगम
41	17			नगर निगम
42	17			नगर निगम
43	17			नगर निगम
44	17			नगर निगम

*[Signature]*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

*[Signature]*  
अधिराषी अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

*[Signature]*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ.सी

45	17			नगर निगम
46	17			नगर निगम
47	17			नगर निगम
48	17			नगर निगम
49	17			स्वामीय जंग
50	17			नगर निगम
51	17			स्वामीय जंग

*(Signature)*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

*(Signature)*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी













*(Signature)*  
आधिकाया  
नगर निगम, झांसा





*(Signature)*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति


वार्ड संख्या - 18


वार्ड का नाम - तालपुरा द्वितीय

क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	18			नगर निगम
2	18			नगर निगम
3	18			नगर निगम
4	18			नगर निगम
5	18			नगर निगम
6	18			नगर निगम


अध्यक्ष अभियान्ता  सहायक अभियान्ता  अधिशासी अभियान्ता  मुख्य अभियान्ता  नगर निगम, जॉ. 1

7	18			नगर निगम
8	18			नगर निगम
9	18			नगर निगम
10	18			नगर निगम
11	18			नगर निगम
12	18			नगर निगम
13	18			नगर निगम


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

  
 12/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी




14	18			नगर निगम
15	18			नगर निगम
16	18			नगर निगम
17	18			नगर निगम
18	18			नगर निगम
19	18			नगर निगम
20	18			नगर निगम


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी


  
 आधिकाारी अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी

  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी

18			नगर निगम
22			नगर निगम
23			नगर निगम
24			नगर निगम
25			नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी













  
 आधेशाही अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति

वार्ड संख्या - 19

वार्ड का नाम - सिम रवा















क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस डूब स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंन्सी / संस्था का नाम
1	19			नगर निगम
2	19			नगर निगम
3	19			नगर निगम
4	19			नगर निगम
5	19			नगर निगम
6	19			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोसी

अधीक्षक अभियन्ता  
नगर निगम, झोसी

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोसी















7	19			नगर निगम
8	19			नगर निगम
9	19			नगर निगम
10	19			नगर निगम
11	19			नगर निगम
12	19			नगर निगम
13	19			नगर निगम

*Prashant Garg*  
अवर अभियन्ता -  
नगर निगम, झोंसी

*AG*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*AG*  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*CG*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

14	19			नगर निगम
15	19			नगर निगम
16	19			नगर निगम
17	19			नगर निगम
18	19			नगर निगम
19	19			नगर निगम
20	19			नगर निगम

*Hand Copy*  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*AG*  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*AG*  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*CG*  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी













21	19			नगर निगम
22	19			नगर निगम
23	19			नगर निगम

*Field Guy*  
*S.F.*  
 अवसर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*AC*  
*AG*  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*AC*  
 आध्यापी अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

*17/5/25*  
*CE*  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के हर्द निर्वहनी-कार्यविद्यालय की स्थिति				
वार्ड संख्या - 20		वार्ड का नाम - सुदरी		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	20			नगर निगम
2	20			नगर निगम
3	20			स्थानीय लोग
4	20			नगर निगम
5	20			नगर निगम
6	20			नगर निगम

*RP*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, शॉपी

*AC*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, शॉपी

*LC*  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, शॉपी

*SP*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, शॉपी

7	20			नगर निगम
8	20			नगर निगम

*[Handwritten signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Handwritten signature]*  
AC

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Handwritten signature]*


आधेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Handwritten signature]*  
17/5/25  
CE


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 21			वार्ड का नाम - वंगला घाट	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उक्त स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उक्त स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेन्सी/संस्था का नाम
1	21			नगर निगम
2	21			नगर निगम
3	21			नगर निगम
4	21			नगर निगम
5	21			नगर निगम
6	21			नगर निगम


 अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


 अधिकारी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


 अधिशाही अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

 17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, कैं. 1

















प्रकरण - 1				
पेड़ों के हर्ष निर्ध की-कान्सीटाइजेसन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 22			वार्ड का नाम - विजोली	
क्र.सं.	वार्ड संख्या	शुद्धार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	शुद्धार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य करने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	22			नगर निगम
2	22			नगर निगम
3	22			नगर निगम
4	22			नगर निगम
5	22			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँ.





















ग्राम - 1				
बेड़ों के बर्द गिर जी-कान्क्रीट/जोशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 23		वार्ड का नाम - लहर गिर		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रकार कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	23			नगर निगम
2	23			नगर निगम
3	23			नगर निगम
4	23			नगर निगम
5	23			नगर निगम
6	23			नगर निगम
7	23			नगर निगम
8	23			नगर निगम


  
अधीन अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

  
आधेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

9	23			नगर निगम
10	23			नगर निगम
11	23			नगर निगम
12	23			नगर निगम
13	23			नगर निगम
14	23			नगर निगम
15	23			नगर निगम
16	23			नगर निगम
17	23			नगर निगम
18	23			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम झाँसी

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
नगर निगम झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

19	23			नगर निगम
----	----	---	--	----------



अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी
















अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी




17/5/25  
CE

मुख्य अभियन्ता,  
नगर निगम, झाँसी















क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	24			नगर निगम
2	24			नगर निगम
3	24			नगर निगम
4	24			नगर निगम
5	24			नगर निगम
6	24			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी















  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता,  
नगर निगम, झॉंसी

7	24			नगर निगम
8	24			नगर निगम
9	24			नगर निगम
10	24			नगर निगम
11	24			नगर निगम
12	24			नगर निगम
13	24			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी


अधिशापी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी नगर निगम, झांसी












14	24			नगर निगम
15	24			नगर निगम
16	24			नगर निगम
17	24			नगर निगम
18	24			नगर निगम
19	24			नगर निगम
20	24			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम.

  
SAHAJAK  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















21	24			नगर निगम
22	24			नगर निगम
23	24			नगर निगम
24	24			नगर निगम
25	24			नगर निगम
26	24			नगर निगम
27	24			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी














28	24			नगर निगम
29	24			नगर निगम
30	24			नगर निगम
31	24			नगर निगम
32	24			नगर निगम
33	24			नगर निगम
34	24			नगर निगम

*A*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*B*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*R*  
आधशापी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*17/5/25*  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी













35	24			नगर निगम
36	24			नगर निगम
37	24			नगर निगम
38	24			नगर निगम
39	24			नगर निगम
40	24			नगर निगम
41	24			नगर निगम


अपर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


आदेशाधीन अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













42	24			नगर निगम
43	24			नगर निगम
44	24			नगर निगम
45	24			नगर निगम
46	24			नगर निगम
47	24			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आधशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
eG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी




प्रारूप - 1		पेड़ों के इर्द गिर्द की-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति		
वार्ड संख्या - 25		वार्ड का नाम - Bagicha Puliya No. 09		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	25			नगर निगम
2	25			नगर निगम
3	25			नगर निगम
4	25			नगर निगम
6	25			नगर निगम
6	25			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशाखा अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी













7	25			नगर निगम
8	25			नगर निगम
9	25			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
( सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
आवशायां ज.  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
EG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 26			वार्ड का नाम - Isaitola -II	
क्रमांक	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	26			नगर निगम
2	26			नगर निगम
3	26			नगर निगम
4	26			नगर निगम
5	26			नगर निगम
6	26			नगर निगम


अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी


आधशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

17/5/25  
LE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

















7	26			नगर निगम
8	26			नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी

  
 आधेशापी  
 नगर निगम, झाँसा

  
 17/5/25  
 CE  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँ

		प्रारूप -1		
		पेड़ों के बुर्द गिर्द डी-कान्नीटाइजेशन की स्थिति		
		वार्ड संख्या - 27		वार्ड का नाम - Dadiyapura
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पकका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	27			नगर निगम
2	27			नगर निगम
3	27			नगर निगम
4	27			नगर निगम
5	27			नगर निगम
6	27			नगर निगम
7	27			नगर निगम
8	27			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, आँरसी

अधिशोषी अभियन्ता  
नगर निगम, आँरसी

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम









9	27			नगर निगम
10	27			नगर निगम

*AS*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*AS*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*AS*  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*AS*  
17/5/25  
GE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



प्रारूप - 1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
कार्य संख्या - 28			वार्ड का नाम - हीरपुरा	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	एवम् कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	28			स्थानीय लोग
2	28			स्थानीय लोग
3	28			नगर निगम
4	28			नगर निगम
5	28			स्थानीय लोग
6	28			नगर निगम
7	28			स्थानीय लोग
8	28			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी

अधिशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी







प्रारूप - 1		पेड़ों के द्वि-चित्रों की-कान्फ़ीटाइजेशन की स्थिति		
वार्ड संख्या - 29		वार्ड का नाम - नैनागढ़		
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	29			नगर निगम
2	29			नगर निगम
3	29			स्थानीय लोग
4	29			स्थानीय लोग
5	29			नगर निगम
6	29			स्थानीय लोग


अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी













7	29			नगर निगम
8	29			स्थानीय लोग
9	29			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आधशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रकरण - 1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-फॉस्फोरिक एसिड की स्थिति				
कड़ के नाम - मलीपोल प्रखण				
वार्ड संख्या - 30				
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य कराने वाली एजेन्सी/संस्था का नाम
1	30			नगर निगम
2	30			नगर निगम
3	30			नगर निगम
4	30			नगर निगम
5	30			नगर निगम
6	30			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
AC2  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी






7	30		नगर निगम
8	30		नगर निगम
9	30		नगर निगम
10	30		नगर निगम
11	30		नगर निगम
12	30		नगर निगम
13	30		नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 आदेशावी अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झोंसी

14	30			नगर निगम
15	30			नगर निगम
16	30			नगर निगम
17	30			नगर निगम
18	30			नगर निगम
19	30			नगर निगम
20	30			नगर निगम

*ay*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

*dc*  
*AM*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

*h*  
*h*

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

*h*  
17/5/25  
CE

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

21	30			नगर निगम
22	30			नगर निगम
23	30			नगर निगम
24	30			नगर निगम
25	30			नगर निगम
26	30			नगर निगम
27	30			नगर निगम

*Sup*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Ac*  
*AO*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Ac*  
*AO*


अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Ac*  
*AO*  
17/5/25  
C.E

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















28	30			नगर निगम
29	30			नगर निगम
30	30			नगर निगम
31	30			नगर निगम
32	30			नगर निगम
33	30			नगर निगम
34	30			नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, औरी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, औरी

  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, औरी

  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, औरी

35	30			नगर निगम
36	30			नगर निगम
37	30			नगर निगम
38	30			नगर निगम
39	30			नगर निगम
40	30			नगर निगम
41	30			नगर निगम




अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी





आधेशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी





मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


42	30			नगर निगम
43	30			नगर निगम
44	30			नगर निगम
45	30			नगर निगम
46	30			नगर निगम
47	30			नगर निगम
48	30			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आधेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

49	30			नगर निगम
50	30			नगर निगम

  
अध्यक्ष अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











  
AC  
ACB  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
आधेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
GE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


प्रारूप -1

पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति

वार्ड संख्या - 31		वार्ड का नाम - लहरगिर्द द्वितीय		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	प्रस्तावित कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	31			नगर निगम
2	31			नगर निगम
3	31			नगर निगम
4	31			नगर निगम
5	31			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, ...


  
AE  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, शौंसी


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, शौंसी


  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, शौंसी















6	31			नगर निगम
7	31			नगर निगम
8	31			नगर निगम
9	31			नगर निगम
10	31			नगर निगम
11	31			नगर निगम
12	31			नगर निगम


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ.


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ.सी


  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ.सी


  
 17/5/25  
 CG  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, डॉ. 1















13	31			नगर निगम
14	31			नगर निगम
15	31			नगर निगम
16	31			नगर निगम
17	31			नगर निगम
18	31			नगर निगम
19	31			नगर निगम

  
अंबर अभियन्ता  
नगर निगम, डाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डाँसी

  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, डाँसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डाँसी

20	31			नगर निगम
21	31			नगर निगम
22	31			नगर निगम
23	31			नगर निगम
24	31			नगर निगम
25	31			नगर निगम
26	31			नगर निगम

*Handwritten signature*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, औरंगाबाद

*Handwritten signature*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, औरंगाबाद

*Handwritten signature*

आधेशाही अभियन्ता  
नगर निगम, औरंगाबाद

*Handwritten signature*

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, औरंगाबाद

27	31			नगर निगम
28	31			नगर निगम
29	31			नगर निगम
30	31			नगर निगम
31	31			नगर निगम
32	31			नगर निगम
33	31			नगर निगम


*Signature*  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री


*Signature*  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री


*Signature*  
 आधशाधी अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री


*Signature*  
 17/5/25  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री















34	31			नगर निगम
35	31			नगर निगम
36	31			नगर निगम
37	31			नगर निगम
38	31			नगर निगम
39	31			नगर निगम
40	31			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी














41	31			नगर निगम
42	31			नगर निगम
43	31			नगर निगम
44	31			नगर निगम
45	31			नगर निगम
46	31			नगर निगम
47	31			नगर निगम


*अप*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ. 1


*Ac*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ. 1


*अप*  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ. 1


*अप*  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डॉ. 1















45	31			नगर निगम
49	31			नगर निगम
50	31			नगर निगम
51	31			नगर निगम
52	31			नगर निगम
53	31			नगर निगम
54	31			नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी

  
 आदेशाधीन अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी

  
 17/5/25  
 CG  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी















55	31			नगर निगम
56	31			नगर निगम
57	31			नगर निगम
58	31			नगर निगम
59	31			नगर निगम
60	31			नगर निगम
61	31			नगर निगम


*[Signature]*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Signature]*  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Signature]*  
17/5/25  
CO  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



62	31			नगर निगम
63	31			नगर निगम
64	31			नगर निगम
65	31			नगर निगम
66	31			नगर निगम
67	31			नगर निगम
68	31			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी








69	31			नगर निगम
70	31			नगर निगम
71	31			नगर निगम
72	31			नगर निगम
73	31			नगर निगम
74	31			नगर निगम
75	31			नगर निगम

*[Signature]*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, औरी

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, औरी

*[Signature]*  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, औरी

*[Signature]*  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, औरी

76	31			नगर निगम
77	31			नगर निगम
78	31			नगर निगम
79	31			नगर निगम
80	31			नगर निगम
81	31			नगर निगम
82	31			नगर निगम

*Handwritten signature*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम

*Handwritten signature*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*


आधेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*  
17/5/25  
CCB


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी







83	31			नगर निगम
84	31			नगर निगम
85	31			नगर निगम
86	31			नगर निगम
87	31			नगर निगम
88	31			नगर निगम
89	21			नगर निगम

  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी


  
 आधशाखा  
 नगर निगम, झांसी


  
 17/5/25  
 CG  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झांसी











90	31			नगर निगम
91	31			नगर निगम
92	31			नगर निगम
93	31			नगर निगम
94	31			नगर निगम
95	31			नगर निगम
96	31			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, औरी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, औरी


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, औरी

  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, औरी











97	31			नगर निगम
98	31			नगर निगम
99	31			नगर निगम
100	31			नगर निगम
101	31			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
66  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















शरणा -1					
देड़ों के इर्द गिर्द डी-कवनीटाइजेसन की स्थिति					
क्र.सं.	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम - विस्त्रो	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य करने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	32				नगर निगम
2	32				नगर निगम
3	32				नगर निगम
4	32				नगर निगम
5	37				नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

6	32			नगर निगम
7	32			नगर निगम
8	32			नगर निगम
9	32			नगर निगम
10	32			नगर निगम
11	32			नगर निगम
12	32			नगर निगम




अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



सहायक अभि  
नगर निगम



अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CG

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

13	32			नगर निगम
14	32			नगर निगम
15	32			नगर निगम
18	32			नगर निगम
17	32			नगर निगम
18	32			नगर निगम
19	32			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

17/5/25  
CC

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

20	32			नगर निगम
21	32			नगर निगम
22	32			नगर निगम
23	32			नगर निगम
24	32			नगर निगम
25	32			नगर निगम
26	32			नगर निगम

*[Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*

अधिसायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*  
17/5/25  
CC

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

27	32			नगर निगम
28	32			नगर निगम
29	32			नगर निगम
30	32			नगर निगम
31	32			नगर निगम
32	32			नगर निगम
33	32			नगर निगम

*[Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*


अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Signature]*  
17/5/25  
CG


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

34	32			नगर निगम
35	32			नगर निगम
36	32			नगर निगम
37	32			नगर निगम
38	32			नगर निगम
39	32			नगर निगम
40	32			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

41	32			नगर निगम
42	32			नगर निगम
43	32			नगर निगम
44	32			नगर निगम
45	32			नगर निगम
46	32			नगर निगम
47	32			नगर निगम

*[Handwritten Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*[Handwritten Signature]*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*[Handwritten Signature]*

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*[Handwritten Signature]*  
17/5/25  
CG

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, प्रॉ. 1















48	32			नगर निगम
49	32			नगर निगम
50	32			नगर निगम
51	32			नगर निगम
52	32			नगर निगम
53	32			नगर निगम
54	32			नगर निगम

*अवर*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*अ*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*अ*  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*अ*  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी















55	32			नगर निगम
56	32			नगर निगम
57	32			नगर निगम
58	32			नगर निगम
59	32			नगर निगम
60	32			नगर निगम
61	32			नगर निगम

*Group*  
अपर अभियन्ता  
नगर निगम, ...

*dl*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, ...

*dl*  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

*dl*  
17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

62	32			नगर निगम
63	32			नगर निगम
64	32			नगर निगम
65	32			नगर निगम
66	32			नगर निगम
67	32			नगर निगम
68	32			नगर निगम

*[Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*




सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*  
17/5/25  
CG

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















69	32			नगर निगम
70	32			नगर निगम
71	32			नगर निगम
72	32			नगर निगम
73	32			नगर निगम
74	32			नगर निगम
75	32			नगर निगम


*Drp*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Dr*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Dr*  
अधिसावी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Dr*  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी





76	32			नगर निगम
77	32			नगर निगम
78	32			नगर निगम
79	32			नगर निगम
80	32			नगर निगम
81	32			नगर निगम
82	32			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी


  
अधिशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

63	32			नगर निगम
64	32			नगर निगम
65	32			नगर निगम



अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी




सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



अधिसाधी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी नगर निगम, झाँसी



17/5/25  
CE











प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 33		वार्ड का नाम - ओरछा गेट बाहर द्वितीय		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	33			नगर निगम
2	33			नगर निगम
3	33			नगर निगम
4	33			नगर निगम

Mohd Gay  
J.E  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

Ac  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

R  
आधेशाही अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

H  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के हर्द गिर्द सी-कन्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 34		वार्ड का नाम - नाईवसती द्वितीय		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	34			नगर निगम
2	34			नगर निगम
3	34			नगर निगम
4	34			नगर निगम
5	34			नगर निगम




अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी



सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी



अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

  
17/5/25  
CE

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

6	34			नगर निगम
7	34			नगर निगम
8	34			नगर निगम
9	34			नगर निगम
10	34			नगर निगम
11	34			नगर निगम
12	34			नगर निगम

*अपर*

अपर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*हस*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*अपर*

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*अपर*  
17/5/25  
CC

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

13	34			नगर निगम
14	34			नगर निगम
15	34			नगर निगम
16	34			नगर निगम
17	34			नगर निगम
18	34			नगर निगम
19	34			नगर निगम

*[Signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*

अधिशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Signature]*  
11/5/25  
CC

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

20	34			नगर निगम
21	34			नगर निगम
22	34			नगर निगम
23	34			नगर निगम
24	34			नगर निगम
25	34			नगर निगम
26	34			नगर निगम

*[Handwritten signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँ

*[Handwritten signature]*











सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँ


*[Handwritten signature]*


अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Handwritten signature]*  
17/5/25  
CC


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	35			नगर निगम
2	35			नगर निगम
3	35			नगर निगम
4	35			नगर निगम
5	35			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, जौंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, जौंसी

  
आधेशाही अभियन्ता  
नगर निगम, जौंसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, जौंसी









6	35			नगर निगम
7	35			नगर निगम
8	35			नगर निगम
9	35			नगर निगम
10	35			नगर निगम
11	35			नगर निगम
12	35			नगर निगम

*AK*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*RP*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*KE*  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*HP*  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी











प्रारूप -1				
पेड़ों के वृद्धि विर्द वी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 36		वार्ड का नाम - प्रेमनगर द्वितीय		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	सकवा कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	36			नगर निगम
2	36			नगर निगम
3	36			नगर निगम
4	36			नगर निगम
5	36			नगर निगम

मोदी कम  
3-6  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

AC  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











6	36			नगर निगम
7	36			नगर निगम
8	36			नगर निगम
9	36			नगर निगम
10	36			नगर निगम

Pratik Garg  
3-8  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

Ac  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

h  
c  
आधेश्वरी आंगवन्ता  
नगर निगम, झांसी

HP  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी











प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 37		वार्ड का नाम - बाहर सविधा गेट इंदौरिया		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	प्रस्तावित कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	37			स्थानीय लोग
2	37			नगर निगम
3	37			नगर निगम
4	37			नगर निगम
5	37			नगर निगम

*(Signature)*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, इंदौर

*(Signature)*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, इंदौर

*(Signature)*  
आधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, इंदौर

*(Signature)*  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, इंदौर















प्रारूप -1				
पेड़ों के ट्रंक गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 38		वार्ड का नाम - अनांगोल हिलीप		
क्रमांक	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	38			नगर निगम
2	38			नगर निगम
3	38			नगर निगम
4	38			नगर निगम
5	38			नगर निगम

10/1/25  
3-5  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, आंसी

AC  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, आंसी

SC  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, आंसी

17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, आंसी











6	38			नगर निगम
7	38			नगर निगम
8	38			नगर निगम
9	38			नगर निगम
10	38			नगर निगम
11	38			नगर निगम
12	38			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधीशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी









13	35			नगर निगम
14	38			नगर निगम
15	38			नगर निगम
16	38			नगर निगम
17	38			नगर निगम

Kohli Gang  
J.S  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

ह  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

ह  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

ह  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी





प्रारूप -1				
पेड़ों के ड्रॉ गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 39		वार्ड का नाम - बाहर दतिया गेट प्रथम		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व इस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद इस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य करने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	39			नगर निगम
2	39			नगर निगम
3	39			नगर निगम
4	39			नगर निगम


सह.अ.क.सं.  
 3-F  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


(R)  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


आधेशार्थी अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी











भाग -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द की-कांजीटाइजेशन की विधि				
वार्ड संख्या - 40		वार्ड का नाम - आत्रालोज		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का करके कतने वाली एजेन्सी/ संस्था का नाम
1	40			नगर निगम
2	40			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 41		वार्ड का नाम - बदनवारा तृतीय		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व इस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद इस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्थान का नाम
1	41			नगर निगम
2	41			नगर निगम
3	41			नगर निगम
4	41			नगर निगम
5	41			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम,

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

6	41			नगर निगम
7	41			नगर निगम
8	41			नगर निगम
9	41			नगर निगम
10	41			नगर निगम
11	41			नगर निगम
12	41			नगर निगम

*Handwritten signature*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम,

*Handwritten signature*















सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*


अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Handwritten signature*  
17/5/25  
CG


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











13	41			नगर निगम
14	41			नगर निगम
15	41			नगर निगम
16	41			नगर निगम
17	41			नगर निगम
18	41			नगर निगम
19	41			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

20	41			नगर निगम
21	41			नगर निगम
22	41			नगर निगम
23	41			नगर निगम
24	41			नगर निगम

*[Handwritten signature]*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Handwritten signature]*











सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Handwritten signature]*

अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

*[Handwritten signature]*  
17/5/25  
CE

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द बी-कमन्टीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 42		वार्ड का नाम - सागर गेट		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पकका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	42			नगर निगम
2	42			नगर निगम
3	42			नगर निगम
4	42			नगर निगम
5	42			नगर निगम

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अधिशासी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी नगर निगम, झाँसी

6	42			नगर निगम
7	42			नगर निगम

*[Handwritten signature]*











⑧


अधर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Handwritten signature]*  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*[Handwritten signature]*  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 43		वार्ड का नाम - नानकगंज		
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	43			नगर निगम
2	43			नगर निगम
3	43			नगर निगम
4	43			नगर निगम
5	43			नगर निगम







  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
आधेशार्थी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

  
17/5/25  
CG

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी

8	43			नगर निगम
7	43			नगर निगम
8	43			नगर निगम




अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


















अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी





17/5/25  
CE

मुख्य आगव...  
नगर निगम, झाँसी




प्रारूप -1				
पेट्रोल के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
श्री विपिन कुमार (मार्ग प्रकाश)				
वार्ड संख्या - 44		वार्ड का नाम - हंसदरी प्रथम		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	सकका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	44			नगर निगम
2	44			नगर निगम
3	44			नगर निगम
4	44			नगर निगम
5	44			नगर निगम
6	44			नगर निगम
7	44			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, 9


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, 5


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, डार्री


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डार्री

8	44			नगर निगम
9	44			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशाही अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











नक्शा -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कार्बोटाइजेसन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 45		वार्ड का नाम - खनिपावर		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	45			नगर निगम
2	45			नगर निगम
3	45			नगर निगम
4	45			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ी के हरे गिर डी-कमिटी/टाइपोरल की स्थिति				
कार्ड संख्या - 45		कार्ड का नाम - प्रेमगज प्रथम		
क्र.सं०	कार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व इस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	संरक्षण कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	45			स्थानीय लोग
2	45			स्थानीय लोग
3	45			स्थानीय लोग
4	45			नगर निगम
5	45			नगर निगम

*Sup*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Ac*










सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Ka*

अचिशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*H*  
17/5/25  
CC

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















6	46			नगर निगम
7	46			नगर निगम
8	46			नगर निगम
9	46			नगर निगम
10	46			नगर निगम
11	46			नगर निगम
12	46			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CO  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















13	46			नगर निगम
14	46			नगर निगम
15	46			नगर निगम
16	46			नगर निगम
17	46			नगर निगम
18	46			नगर निगम
19	46			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी















20	46			नगर निगम
21	46			नगर निगम
22	46			नगर निगम
23	46			नगर निगम
24	46			नगर निगम
25	46			नगर निगम
26	46			नगर निगम


*Dr*  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Dr*  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


*Dr*  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Dr*  
17/5/25  
CO  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

27	46			नगर निगम
28	46			नगर निगम
29	46			नगर निगम
30	46			नगर निगम
31	46			स्थानीय लोग
32	46			स्थानीय लोग
33	46			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, ...


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, ...


  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम

  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, ...



34	46			नगर निगम
35	46			नगर निगम
36	46			नगर निगम
37	46			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
आधशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

शरण -1				
वेडों के इर्द गिर्द डी-कान्सीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 47		वार्ड का नाम - तलेया		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	सकका कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	47			नगर निगम
2	47			नगर निगम
3	47			नगर निगम
4	47			नगर निगम
5	47			नगर निगम

Handwritten signature

अध्यक्ष अभियन्ता  
नगर निगम, डी. पी.

(2)

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डी.पी.

Handwritten signature

अधिसाधी अभियन्ता मुख्य आभारकर्ता  
नगर निगम, डी.पी. नगर निगम, डी.पी.

Handwritten signature and date  
17/5/25  
CO

6	47			नगर निगम
7	47			नगर निगम

(२८)

Hard Copy  
J.E

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी










सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*

अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*[Signature]*  
17/5/25  
CO

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी











प्रकरण -1				
पेड़ों के बुरे बिरुद डी-कान्फ्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 48		वार्ड का नाम - मेवातीपुर		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उठा हुआ स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उठा हुआ स्थल की फोटो	परिष्कार करने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	48			नगर निगम
2	48			नगर निगम
3	48			नगर निगम
4	48			नगर निगम
5	48			नगर निगम


अवर अभियन्ता  
नगर निगम, अंसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, अंसी


अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, अंसी

17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, अंसी











6	48			नगर निगम
7	48			नगर निगम
8	48			नगर निगम
9	48			नगर निगम
10	48			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


(R)  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आदेशाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी















आरूप -1				
वेडों के दूर निर्य डी-कान्सीटाइलेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 49		वार्ड का नाम - सिविल लाइन पश्चिम		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	शुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	शुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य करने वाली एजेंसी/संस्थान का नाम
1	49			नगर निगम
2	49			नगर निगम
3	49			नगर निगम
4	49			नगर निगम
5	49			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, अ.सी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, अ.सी

  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, अ.सी


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, अ.सी

6	49			नगर निगम
7	49			नगर निगम
8	49			नगर निगम
9	49			नगर निगम
10	49			नगर निगम
11	49			नगर निगम
12	49			नगर निगम

  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री


  
 अधिशासी अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री

  
 17/5/25  
 CC  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, श्री













13	49			नगर निगम
14	49			नगर निगम
15	49			नगर निगम
16	43			नगर निगम
17	49			नगर निगम
18	49			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, जॉन्सी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, जॉन्सी


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, जॉन्सी


  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, जॉन्सी

प्रारम्भ -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द की-जाचकीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 80		वार्ड का नाम - रंजितापुड़ा प्रखण्ड		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रकार कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	50			स्थानीय लोग
2	50			नगर निगम
3	50			नगर निगम
4	50			नगर निगम
5	50			नगर निगम
6	50			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी

  
17/5/25  
CE  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी













7	50			नगर निगम
8	50			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
आधेशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
वेड़ों को हर्ष गिर्द डी-कान्सीटाइजेसन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 51		वार्ड का नाम - सिविल लाइन		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	51			नगर निगम
2	51			नगर निगम
3	51			नगर निगम
4	51			नगर निगम
5	51			नगर निगम
6	51			नगर निगम

  
अर्वर अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
अधिशाही अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

  
17/5/25  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झांसी

7	51			नगर निगम
8	51			नगर निगम

*By*

अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*Ac*



सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*K*

अधिसायी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*17/5/25*  
*CC*

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द जी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 52			वार्ड का नाम - मुकरयाना	
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	52			नगर निगम

*(Signature)*

अध्यक्ष अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*(Signature)*

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*(Signature)*

अध्यक्ष अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

*(Signature)*  
17/5/25  
CC













मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रासप -1

वेडों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति

वार्ड संख्या - 53

वार्ड का नाम - खंडेराव गेट

क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी / संस्था का नाम
1	53			नगर निगम
2	53			नगर निगम
3	53			नगर निगम
4	53			नगर निगम
5	53			नगर निगम
6	53			नगर निगम















अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी

अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉंसी


17/5/25















7	53			नगर निगम
6	53			नगर निगम
9	53			नगर निगम
10	53			नगर निगम
11	53			नगर निगम
12	53			नगर निगम
13	53			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


(8)  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी


  
17/5/25  
20  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झोंसी







14	53			नगर निगम
15	53			नगर निगम
16	53			नगर निगम
17	53			नगर निगम
18	53			नगर निगम
19	53			नगर निगम
20	53			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी

  
अधिशायी अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी


  
17/5/25  
CO  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झॉसी

21	53			नगर निगम
22	53			नगर निगम
23	53			नगर निगम



B


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CC  
मुख्य आभे ५  
नगर निगम, झाँ.

















प्रारूप -1				
पेड़ों के बर्त निर्वह जी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 54			वार्ड का नाम - Bahar Orchagate-I	
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पत्रका कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	54			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिशाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के हर्ष निर्दयी-कान्क्रीटाइजेरान की स्थिति				
वार्ड संख्या - 55		वार्ड का नाम - सिविल लाइन		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	परिष्कार कार्य कराने वाली एजेन्सी/संस्था का नाम
1	55			नगर निगम
2	55			नगर निगम
3	55			नगर निगम
4	55			नगर निगम
5	55			
6	55			
7	55			
8	55			













  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
अधिसाकी अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, डोंरी







प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 58		वार्ड का नाम - Panchkulyan		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उक्त वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	58			नगर निगम
2	58			नगर निगम
3	58			नगर निगम
4	58			नगर निगम
5	58			नगर निगम
6	58			नगर निगम


  
 अवर अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


  
 सहायक अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


  
 अधिशाही अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी


  
 मुख्य अभियन्ता  
 नगर निगम, झाँसी





7	56			नगर निगम
8	56			नगर निगम
9	56			नगर निगम
10	56			नगर निगम

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिसापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
cer  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द जी-कान्क्रिट/इंजेक्शन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 57		वार्ड का नाम - सी.पी.विशन कॉन्स्ट्रक्ट		
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	57			नगर निगम
2	57			नगर निगम


अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


अधिशापी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी







प्रारूप -1				
पेड़ों के इर्द गिर्द डी-कान्क्रीटाइजेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 58			वार्ड का नाम - Gusaipura	
क्र.सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस वृक्ष स्थल की फोटो	धक्का कार्य करने वाली एजेंसी/ संस्था का नाम
1	58			नगर निगम
2	58			नगर निगम
3	58			नगर निगम
4	58			नगर निगम
5	58			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिसाधी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

अनुक्रम -1				
पैरों के द्वय विर्य शी-काल्सीटाइमेशन की स्थिति				
वार्ड संख्या - 09		वार्ड का नाम - Daru Bhodola Bura Bazar		
क्र.सं.	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व इस वृक्ष स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद इस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	09			नगर निगम
2	09			नगर निगम
3	09			नगर निगम


  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी


  
अधिसाषी अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CG  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँ.

प्रकरण -1				
पेट्रोल के इंधन गिरद डी-कालीटाइजेशन की स्थिति				
कार्ड संख्या - 60		कार्ड का नाम - लक्ष्मणगंज		
क्र.सं.	कार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस गृह स्थल की फोटो	सुधार कार्य के बाद उस गृह स्थल की फोटो	पत्रकार कार्य कराने वाली एजेंसी/संस्था का नाम
1	60			स्थानीय लोग
2	60			स्थानीय लोग
3	60			स्थानीय लोग
4	60			स्थानीय लोग

  
अवर अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
सहायक अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
अधिशाली अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी

  
17/5/25  
CC  
मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम, झाँसी



हरित झाँसी।

स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी



OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या २३३ / पी०ए० / अ०न०आ० / न०नि० / 2024-25

दिनांक: 16 / 10 / 2024

## आदेश

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित AO NO.1075 / 2024 श्री नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 10.10.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 10.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यवृत्त के माध्यम से झाँसी नगर निगम के प्रत्येक वार्ड का सर्वेक्षण संलग्नक प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में कराया जाना है।

अतः उक्त के अनुपालन हेतु वार्ड वार निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

क्र० सं०	आवंटित वार्ड	नगर निगम/बूडा अधिकारियों के नाम	वन विभाग, झाँसी के अधिकारी/कर्मचारी का नाम	झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	नामित नोडल अधिकारी का नाम
01	45, 59	श्री अकील मसूद मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8707009918			
02	56, 58	श्री रघुराज निरंजन मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8840324328			
03	33, 54	श्री अभिलाष रायकवार मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-9568002436			
04	22, 25	श्री संजीव कुमार चौरसिया मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8576057977			
05	11, 44	श्री प्रदीप अग्निहोत्री सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-6393781675	श्री प्रधुमन्य सिंह भदौरिया वन दसोगा मो०न० 9450078275	श्री घनश्याम तिवारी अवर अभियंता मो०न० 7678631196	डॉ० विनीत कुमार वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी मो०न०-6386036751
06	02, 03	श्री ओमवीर सिंह सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8171697474			
07	16, 40	श्री अनूप कुमार साहू सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8860363542			
08	05, 06	श्री संजय चन्द्रा सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-8467944482			
09	13, 27	श्रीमती स्नेहलता सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-6306488942			
10	26, 35	श्री मनोज श्रीवास्तव सफाई एवं खादय निरीक्षक मो०न०-9935888279			

7, 39	श्री राजकुमार भद्रसेन सहायक अभियन्ता मो0न0-9284996340			
12	31, 32	श्री रामअवध सहायक अभियन्ता मो0न0-7318188951		
13	52, 60	श्री अशोक कुमार अवर अभियन्ता मो0न0-9792288685		
14	50, 48	श्री विपिन कुमार अवर अभियन्ता मो0न0-9719653942		
15	20, 36	श्री देवीलाल शर्मा अवर अभियन्ता मो0न0-8218676702	श्री टी0पी0 सिंह उप से0व0अ0 मो0न0- 887758764	श्री निनीश गुप्ता अवर अभियन्ता मो0न0 8449708708
16	08, 57	श्री राजेन्द्र पाल अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) मो0न0-9795658449		श्री राजवीर सिंह मुख्य अभियन्ता मो0न0-9838087024
17	51, 43	श्री कल्याण सिंह अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) मो0न0-9140769042		
18	01, 12	श्री विपिन कुमार अवर अभियन्ता (वि0/यॉ0) (आ0सो0) मो0न0-8604963261		
19	04, 07	श्री प्रशान्त सिंह जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-8433179650		
20	09, 10	श्री निशांत कुमार जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-7007222097		
21	14, 15	श्री शिवन देबलिया जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-8081062588		
22	17, 18	श्री मनोज कुमार जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-8573913711		
23	19, 21	श्री विक्रम बुन्देला जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-8573892693	श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास्त वन रक्षक मो0न0 - 9125435978	श्रीमती रोली गुप्ता अपर नगर आयुक्त मो0न0- 8808053868
24	23, 24	श्री शिवम प्रजापति जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-7528074882		
25	28, 29	श्री नीरज नायक जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-9831070761		
26	30, 34	श्री धर्मेन्द्र सिंह जूनियर इंजीनियर, डूडा मो0न0-8887791286		
27	38, 41	श्री प्रिश दुबे जूनियर इंजीनियर, डूडा		

28	42, 46	मो०न०-8009566762 श्री आदित्य सिंह सर्वेयर मो०न०-9335036010	श्री पुष्पेन्द्र श्रीवास वन रक्षक मो०न० - 9125435978	श्री विनीत शर्मा अवर अभियंता मो०न०- 8449708992	श्रीमती रोली गुप्ता अपर नगर आयुक्त मो०न०- 8308053868
29	47, 49	श्री करन रायकवार जूनियर इंजीनियर, डूडा मो०न०-9807884770			
30	53, 55	श्री राहुल जूनियर इंजीनियर, डूडा मो०न०-8340799795			

उपर्युक्तानुसार वार्ड वाइज टीम मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अध्ययन कर संलग्न प्रारूप पर दिनांक 22.10.2024 तक अनिवार्य रूप से सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करायेगी। ध्यातव्य है कि प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बति है जो पर्यावरण से सम्बन्धित एवं संवेदनशील है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान आपेक्षित है।

संलग्नक :- प्रारूप-1 एवं 02

नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी।
5. श्रीमती दीपा अरोरा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी।
6. श्री गो० कंगर, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
7. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त  
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

प्रारूप --1			
पेड़ की जड़ों के ऊपर पक्का कार्य			
वार्ड का नाम --			
क्र०सं०	वार्ड संख्या	सुधार कार्य से पूर्व उस वृक्ष स्थल की फोटो	पक्का कार्य कराने वाली एजेन्सी / संस्था का नाम
1	2	3	4
1			
2			
3			

प्रारूप -2

पेड़ों की कटान

वार्ड संख्या -	वार्ड का नाम -					
क्र०सं०	जिस जगह वृक्ष काटे गये हैं उस स्थल का पता	स्ताम्भ (2) में अंकित पत्ते का लैण्डमार्क (पहचान-चिन्ह)	काटे गये वृक्षों की संख्या	काटे गये वृक्षों की प्रजाति/नाम	काटे गये वृक्षों की जी०पी०एस० फोटो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	6
1						
2						
3						



हरित झॉंसी।

स्वच्छ झॉंसी।



झॉंसी नगर निगम, झॉंसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झॉंसी



OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या 246/पी0ए0/न0आ0/न0नि0/2024-25

दिनांक: 18/11/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी  
झॉंसी।

महोदय,

कृपया महोदय के कार्यालय से निर्गत पत्र सं0 293/1 दिनांक 10.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण O.A. No. 1075/2024, नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों के क्रम में नगर के समस्त वार्डों का संलग्न प्रारूप के अनुसार सर्वेक्षण कराये जाने हेतु जिसमें नगर निगम, झॉंसी, झॉंसी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग की संयुक्त टीम बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्र सं0 299/पी0ए0/अ0न0आ0/ न0नि0/2024-25 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा तीन संयुक्त टीम का गठन मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त को 20-20 वार्डों का नोडल अधिकारी बनाते हुए किया गया था।

उक्त कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारियों द्वारा पेड़ों के इर्द गिर्द पक्का कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आख्या श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त, द्वारा कार्यालय पत्र सं0 270/पी0ए0/अ0न0आ0/न0नि0/2024-25 दिनांक 18.11.2024, डॉ0 विनीत कुमार, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कार्यालय पत्र सं0 497/पी0ए0/स्वा0वि0/न0नि0/2024-25 दिनांक 07.11.2024 एवं श्री राजवीर सिंह, मुख्य अभियन्ता के द्वारा कार्यालय पत्र सं0 2497/पी0ए0/जन0वि0/ न0नि0/2024-25 दिनांक 07.11.2024 के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

उपर्युक्त सर्वेक्षण आख्यानुसार 971 वृक्षों के इर्द गिर्द पक्का कार्य होने की सूचना प्रस्तुत की गई है। इन वृक्षों के इर्द गिर्द पक्के कार्यों को मानक के अनुरूप हटाने हेतु मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, झॉंसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

अतः सर्वेक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक :- विवरण।

भवदीय

नगर आयुक्त

झॉंसी नगर निगम, झॉंसी।

01

पृष्ठांकन दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, झॉंसी को इस आशय से प्रेषित कि वृक्षों के इर्द गिर्द पक्का कार्य को हटवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

01/11/24  
19-11-24

नगर आयुक्त

झॉंसी नगर निगम, झॉंसी।

01

## सहायक अभियन्ता / अधीनस्थ अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता / नगर आयुक्त महोदय

कृपया दिये गये निर्देश के क्रम में झाँसी नगर निगम, झाँसी में पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शिड्यूल के अनुसार अति अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि वेबसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी:-

क्र/सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अंतिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	26.11.2024 3:00 PM	17.12.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	17.12.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	17.12.2024 3:30 PM	

### कार्य का विवरण

क्र/सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	एन0जी0टी0 के माईव लाइन के अनुपालन में विभिन्न वर्डों में स्थित पेड़ों के चारों तरफ घास लगाने का कार्य।	845076.00	845.00+18.00% GST	84600.00	दो माह	सी श्रेणी

नोट-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की वेबसाइट [www.jnnjhansi.com](http://www.jnnjhansi.com) में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैन्युअल माने जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयवधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अप्रशिक्षित रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- प्रत्येक निविदादाता रु० 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सही सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कतना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
- कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य सम्पत्ति की फोटो पट्टावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश सं० 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दसा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
- जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा दर्जे-धर्जे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम, झाँसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश सं० 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोलने की तिथि में अगर अचकारा होता है तो निविदा अपने दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जावेगा।
- ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
- निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 60 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
- किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्त राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।

  
30-12-24



22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानक से संबंधित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेंचसाइट से लोड किया जा सकता है। <https://etender.up.nic.in>
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा चंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. शर्तें बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
25. शासनादेश सं० 24वीं/आर्जुपी०(१)/बी-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी/परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष शेकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
26. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
27. काम शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बोली तगाने वाले की श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
28. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे बोली जमा करने के समय बोली क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
29. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
30. कार्य के साथ नोटिस जारी करने के बाद, ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबंधित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
31. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं० 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
32. निविदादाता के पंजीकृत चेल पर बोली लगाने वाले और एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
33. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
34. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं रहनाया जा जाएगा। बले डी सिस्टम किसी भी बोली अपवेट के बोलीकर्ताओं को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोजता बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए बेंचसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
35. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त चुपचा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
36. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
37. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा।
38. मा० एन०जी०टी० के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कार्य सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
39. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
41. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
42. निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यो को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वेध विद्युत पंजीकरण/ए- श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेंस होना अनिवार्य है।
43. निविदादाता तथा ज्वाइन्ट वेंचर के पास विद्युतीकरण कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
44. पी०इ०डी० के Model Bidding Document for construction of roads के सेक्शन-2 के 15B में यह उल्लेख किया गया है कि "if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit." के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जफ्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुमोदन करते हुए ई-निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रारूप आवली के दायीं ओर संलग्न कर दिया गया है। कृपया अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

11-2-24  
23-11-24

23/11/2024

23/11/24

23-11-24

23/11/24  
CE

30/12-24

## सहायक अभियन्ता/अधिअभियन्ता/मुख्य अभियन्ता/नगर आयुक्त महोदय

कृपया दिये गये निर्देश के क्रम में झॉंसी नगर निगम, झॉंसी में पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक तिरात आधार दरों पर ई-निविदा प्रकृति से ई-टेंडरिंग की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेंडर शिड्यूल के अनुसार अति अल्पकालिकनिविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूमि की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि वेबसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी:-


क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	23.12.2024 3.00 PM	30.12.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	30.12.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	30.12.2024 3:30 PM	


### कार्य का विवरण


क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूमि की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	एन0जो0टी0 के गाईड लाइन के अनुपालन में विभिन्न बाडों में स्थित पेडों के दारों तरफ घास लगाने का कार्य।	845076.00	845.00+18.00% GST	84600.00	दो माह	सी श्रेणी

टि-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अविशारी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झॉंसी की वेबसाइट [www.jnnjhansi.com](http://www.jnnjhansi.com) में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अपरिधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- प्रत्येक निविदादाता ₹20 100/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर धर्मी सूचनाएं सटी होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- प्रतिभूमि की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- डिफ़ैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
- कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पेशावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- शासनादेश सं० 11593/नी-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो चस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
- बी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटीती की जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्जे-खर्चे पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम,झॉंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
- शासनादेश सं० 3890/नी-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झॉंसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिभर्जन/परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
- निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार स्लॉट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
- किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्त राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी वही शर्त लागू होगी।

  
30-12-2024



  
30/12/24  
CE



22. निविदा दरतावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखों की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। वेबसाइट से लोड किया जा सकता है। <https://etender.up.nic.in>
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. शर्तों बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
25. शासनादेश सं० 24वींआइपीओ(1)/नी-5-2017-1208जट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुस्क्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत घनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष सेकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
26. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
27. काम शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बोली लगाने वाले की श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
28. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे बोली जमा करने के समय बोली क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
29. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
30. कार्य के साथ नोटिस जारी करने के बाद, ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत सम्बन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
31. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं० 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
32. निविदादाता के पंजीकृत रोल पर बोली लगाने वाले और एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
33. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
34. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं दंडाया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी बोली अपहेट के बोलीकर्ताओं को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोजित बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट से स्थापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
35. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यात्रायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
36. एक अथवा सभी निविदाओं के कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,दौसी में निहित होगा।
37. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक पैका अनिवार्य होगा।
38. मा० एन०जी०टी० के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कार्य सामग्री को डीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बरबूलने की कार्यवाही की जायेगी।
39. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
41. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
42. निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यो को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत पंजीकरण/ए-श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
43. निविदादाता तथा प्वाइन्ट वैचर को पास विद्युतीकरण कार्य कर अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
44. पी०डब्ल्यू०टी० के Model Bidding Document for construction of roads के सेक्शन-2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि "if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit." के अनुसार ठेकेदार की जमानत घनराशि जन्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार अनुमोदन करते हुए ई-निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रारूप ताली के दायीं ओर संलग्न कर दिया गया है। कृपया अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

21-12-24

21-12-24

21-12-24


21/12/24  
CE

30-12-2024

30/12/24  
CE

21/12/24

प्रारूप -2  
पेड़ों की कटान

वार्ड संख्या - 35		वार्ड का नाम - राज कर्मचारी नन्दनपुरा				
क्र.सं०	जिस जगह वृक्ष काटे गये हैं उस स्थल का पता	सामग्री (2) में अंकित पते का सैण्डमार्क (पहचान-चिन्ह)	काटे गये वृक्षों की संख्या	काटे गये वृक्षों की प्रजाति/नाम	काटे गये वृक्षों की जै30पी0एस0 फोटो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	6
1	शास्ता मता मन्दिर के सामने	शास्ता मता मन्दिर के रखरखने चौराहे के पास	1	गुलमोडर		-

5/11/2024  
(मनोज कुमार श्रोवास्तव)

SEI  
(मनोज कुमार श्रोवास्तव)  
सफाई एवं खाद्य निरीक्षक  
नगर निगम, अौंती

(धनश्याम तिवारी)  
अवर अभियन्ता (सिविल)  
ग्रामी विकास प्राधिकरण, अौंती



हरित झाँसी।

स्वच्छ झाँसी।



झाँसी नगर निगम, झाँसी  
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी



OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या 366/1/पी0ए0/अ0न0आ0/न0नि0/2024-25


दिनांक: 28/11/2024

निरीक्षण आख्या

महोदय

कृपया जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुयी बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक संख्या-293/1, दिनांक 10.10.2024 के बिंदु संख्या 03 में दिये गये निर्देशानुसार प्रारूप 02 पर प्राप्त सूचना के क्रम में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी के साथ काटे गये वृक्ष का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री राज नारायन, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, श्री प्रद्युमन सिंह भदौरिया, सेक्शन ऑफिसर एवं श्री मनोज कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक भी उपस्थित रहे। निरीक्षण में एक सूखा टूठ प्रजाति पेल्ट्रोफार्म गोलाई 150 से0मी0 सड़क के समतल पाया गया जो काफी पुराना प्रतीत होता है। पेड़/सूखा टूठ काटने हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में नगर निगम की ओर से बिना अनुमति के वृक्ष काटने एवं चोरी सम्बंधी धाराओ में प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु तहरीर थाना सीपरी जनपद झाँसी में दी जा चुकी है। तहरीर की प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न है।


अतः उक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

  
(विनोद कुमार)

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
वन विभाग, झाँसी।

  
(मोहन कुमार)

अपर नगर आयुक्त  
नगर निगम झाँसी।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): झांसी

P.S. (थाना): सीपरी बाजार

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0416

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 16/12/2024 18:46

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	4
3	उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976	10

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day  
(दिन):

Date From  
(दिनांक से):

Date To  
(दिनांक तक):

Time Period  
(समय अवधि):

Time From  
(समय से):

Time To  
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 16/12/2024 Time (समय): 18:46 बजे  
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 054 Date & Time 16/12/2024 18:46 बजे  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 4 Beat No.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):

(b) Address भारत माता मन्दिर के पास, दीनदयाल नगर मसीहागंज, थाना सीपरी बाजार झाँसी  
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

**6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): श्री प्रकाश चन्द्र सोनी

(b) Father's Name (पिता का नाम): अज्ञात

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1964

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	आसो नगर निगम, झाँसी, सीपरी बाजार, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	आसो नगर निगम, झाँसी, सीपरी बाजार, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9451171218

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-1 (एकीकृत जाँच फार्म -1)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थानाध्यक्ष महोदय, थाना सीपरी बाजार झाँसी। महोदय, निवेदन करना है कि थाना क्षेत्रान्तर्गत दीन दयाल नगर में भारत माता मंदिर के पास नगर निगम के फुटपाथ पर पेट्रोलपम्प एक वृक्ष खड़ा था। सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ है कि उक्त वृक्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक-दो माह पूर्व बिना वन विभाग तथा नगर निगम की अनुमति के काट लिया है। अतः अनुरोध है कि बिना अनुमति के वृक्ष के काटे जाने एवं पेड़ के चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अग्नेजी अपठनीय 28/11/24 (प्रकाश चन्द सोनी) राजस्व निरीक्षक सेनि, आसो नगर निगम, झाँसी। मो0नं0 9451171218 नोट मै हे0का0 289 लवकुश प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र की नकल शब्द व शब्द की गयी है।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मट सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) or  
(या)
- (2) **Directed (Name of I.O.)** NAKUL SINGH **Rank** SI (Sub-Inspector)  
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):
- No.** 192393313 **to take up the investigation**  
( सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) **Transferred to P.S.** **District**  
(थाना): (ज़िला):  
**on point of jurisdiction** (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

**R.O.A.C.**(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the  
complainant / informant. (शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,  
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name AKHILESH KUMAR

Rank I (Inspector)

No. 912510808



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**Attachment to Item 7 of First Information Report**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:**

(If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :

(यदि जात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट )	Height (cms.) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह )
1	2	3	4	5	6	7
1						
Deformities/ Peculiarities		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान )	Leucoder ma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव )	Tattoo (गूदे हुए का )	
14	15	16	17	18	19	20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)



IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO 1075 OF 2024

IN THE MATTER OF

**VAKALATNAMA**  
E.A. No. 11 of 2025  
O.A. No. 1075 of 2024  
**NARENDRA KUSHWAHA**

Applicant

Versus

**UNION OF INDIA & ORS.**

Respondents

**NAGAR NIGAM JHANSI**

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We above named **AGRAWAL** do hereby appoint **GAURAV AGARWAL** the **RESPONDENT** thereafter called the advocate(s) to be my our Advocate in the above noted case and authorize him :- To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/us. To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages. To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take execution proceedings. The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case. To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on our behalf. And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes. And I/We undertake that I/we or my/our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called. And I/we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

Dated this 26 day of MAY, 2025.

Accepted, identified and satisfied about the due execution of the Vakalatnama

(GAURAV AGARWAL)  
Advocate  
UP/03872/2009

Memo Of Appearance

Applicant Respondent

To  
The Registrar  
National Green Tribunal  
New Delhi

Sir, Please enter my appearance for the above named Petitioner(s)/Plaintiff(s)/Appellant(s)/Respondent(s)/Defendant(s)/Caveator(s) Intervener(s) in the above mentioned Petition/Appeal/Suit/Reference

Thanking you.

Dated 26.05.2025

GAURAV AGARWAL

Advocate

GRV LEGAL  
Advocates & Legal Consultants  
O-703, Aditya Mega City,  
Vaibhav Khand, Indrapuram,  
Ghaziabad, U.P.-201014  
(M) 8802911392

